

24551

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta .

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, UTTARKASHI,
UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE,
UTTARKASHI, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER
DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN
THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Uttarkashi, Uttarakhand through District Magistrate, Uttarkashi, Uttarakhand in compliance of orders dated 05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the abovementioned matter	2-17
2.	<u>ANNEXURE-1</u> : A true copy of the order dt.05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	18-28
3.	<u>ANNEXURE-2</u> : A copy of the Compliance Report alongwith its Annexures.	29-123

Filed by:

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98



[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /
Respondent

C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024

Mobile No. 9811101934

Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

24552

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta .

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, UTTARKASHI,
UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE,
UTTARKASHI, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER
DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN
THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Abhishek Ruhela (male) Aged about 35 years, S/o Shri Arjun Singh Ruhela, presently posted as District Magistrate, Uttarkashi, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Uttarkashi, Uttarakhand through District Magistrate, Uttarkashi,, Uttarakhand.
2. That the abovementioned matter was listed on 05.09.2023 before this Hon'ble Tribunal and after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass a detailed order, the relevant portion of the same is quoted below:-



Abhishek
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

“

“

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.



3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

XXXXXXXXXX

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement

[Signature]
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

24554

of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

- i. Chamoli
- ii. Dehradun
- iii. Haridwar
- iv. Pauri Garhwal
- v. Rudraprayag
- vi. Tehri
- vii. Uttarkashi



Tributaries

- viii. Nainital
- ix. Almora
- x. Pithoragarh
- xi. Champawat
- xii. Bageshwar
- xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those

[Signature]
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

24555


DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-

- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)
- II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)
- III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

X x x x x x x x



10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand for compliance. Additionally, the Notice be issued by the


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

24556

Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023."

A copy of the order dated 05.09.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.




3. That in compliance of the abovementioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following steps were taken by the District Ganga Committee, Uttarkashi, as far as District Uttarkashi is concerned:-

REPORT ON IMPLEMENTATION ON 2016 ORDER

Sr. No.	Key paras of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt. of India, pertaining to District Ganga Committee's	Implementation by District Ganga Protection Committee
1	53. Constitution of District Ganga	(1) In exercise of power conferred by sub-sections(1) and (3) of Environment Protection

[Signature]
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी



	Protection Committees.-	<p>Act 1986 and para 53 of the 2016 order, Central Government constituted District Ganga Protection Committee in District Uttarkashi vide order S.O. 2545(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II) dated 9th August 2017. (Annexure- 10)</p> <p>(2) The constitution of District Ganga Protection committee has been done as per para 53(2) of the 2016 order with District Magistrate as Chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter no- 29/Namami Gange (2017-18) dated 11 May, 2017 is annexed. (Annexure- 11)</p> <p>(3) District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in December 2017. More than 70 DGC meeting have been convened and various aspect of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner. (Annexure- 12)</p> <p>(4) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Uttarkashi has been conducting their Monthly, Mandated, Monitored, Minuted meetings(4M meeting) with the minutes being uploaded regularly on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS) (Annexure- 13)</p>
2	54. Superintendence, direction, and control of District Ganga Committee	The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee is being exercised by National Mission for Clean Ganga through State Programme Management Group (SPMG), Namami Gange, Dehradun Uttarakhand. Meetings of Supervisory Committee and Executive Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secretary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.
3	55. Functions and powers of	1- Every district Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation,

Ramesh
जिला जकार
उत्तरकाशी

District
Ganga
Committees.

protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries.

2-Identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the river Ganga for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

3-Taking remedial action at its own end for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District.

4- In the event of its inability to take remedial action, reporting to the National Mission for Clean Ganga and concerned state Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.


5-Taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this order so as to prevent the environmental pollution in the river Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

6-In case the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

7-The district Ganga committee shall take all the such emergency measures as specified in paragraph

7. (Annexure- 10)

Last 12 month minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report in-
(Annexure-12)



Rakesh
जिला नकारा
उत्तराखण्ड

4.	56.Designation of Nodal Officer.-	<p>District Ganga Committee through Chairman, DGC has nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order —</p> <p>(a) Gram Pradhan of Gram Sabha of 22 revenue villages in the areas abutting the River Bhagirathi.</p> <p>(b) Chairperson of 1 Nagar Panchayat and Nagar Palika Parishads covering 4 revenue villages/wards abutting the river Bhagirathi.</p> <p>The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area.He shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.</p>
1.	57. Preparation of plans-	<p>As per directions of NMCG and State Programme Management Group, Namami Gange, a tributary wise plan/presentation has been prepared by DGC and submitted to SPMG, Namami Gange. Preparation of District Ganga Plan is underway. Also preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan(DGP) on have been attended by members of DGC.</p> <p>(Annexure-14) & (Annexure-15)</p>



[Handwritten Signature]
 District Ganga Committee
 Kherkesh

Cities/Panchayats	Issues	Remarks
Bhagirathi Basin i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact Food security, water security and energy security of the Northern part of the country.	
	2 Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management(plastic is a menace),Sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well.	This is an admitted fact that unregulated tourism leads to traffic congestion and other problems as discussed at Para Number-2. However, district administration has plans in place to overcome from above constraints by adopting following measures:- (a) Online registration has been made compulsory for the tourists so as to keep a database and also manage the inflow of tourists for Gangotri dham on daily basis. Police personnel are deployed at various places on "Yatra" route for the proper traffic management.



[Signature]
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी



Towards this end, Department of Tourism has established two Tourist Safety Management Points, one each at Hina and Gangotri to manage the in/out flow of the tourists. A total of 12,09,564 tourists had registered online during the year 2023 for Gangotri dham.

To control and manage the traffic, around 250 PRD personnel, Home Guards and Police personnel have been deployed at various places in yatra routes. Besides, 38 "Yatri Mitra" have also been deployed at Gangotri dham.

- (b) To clean the Municipal Solid Waste (MSW), cleaning drive is being carried out on regular basis. The local municipal bodies have been directed to conduct regular cleanliness drives along the tourist routes and in pilgrimage sites on regular basis. Besides, police and other staff deployed on "Yatra" route have been asked to motivate the tourists for using the dust-bins for throwing the garbage and also not to litter the surroundings.

P. P. Mishra
 अधिवक्ता
 उत्तरकाशी

		<p>Many temporary toilets have been constructed on "Yatra" routes for the tourist. Besides, to reduce the dependence of pilgrims on packaged water, Drinking Water Stations (RO/Water Purifiers) have also been installed along the route.</p> <p>Reports received from the concerned authorities are placed at Annexure-2.</p>
	<p>Gangotri-Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG) an autonomous institution under department of Science & Technology in a study conducted at Chirbassa station near Gangotri Glacier for the year 2016 found that black carbon (BC) concentration in this region, has changed drastically during summer.</p> <p>Black carbon is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and</p>	<p>It is humbly submitted that Gangotri National Park is situated in Uttarkashi district which is at sea level height of above 3000 meters, covering approx. 2,390 Sq/km. This place is mostly covered with the snow throughout the year. Hence, human movement is very less and allowed only after a valid permit by the authorities.</p> <p>At Gangotri National Park, there are only two entry gates, one each for trekkers and for the movement of vehicles from Army, BRO, ITBP and forest department, etc. Tourist vehicles are very restricted (only 150 person and 15 mules per day on Gaumukh Trek) and allowed only after a valid permit.</p> <p>There are no brick kilns in the district. Practice of agriculture burning/animal dung burning and coal</p>

P. D. Mangain
 अधिवक्ता
 उत्तराखण्ड

the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon.

It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires (along the Himalayan stopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions.

(As reported by WIHG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB)

briquettes is not known to the resident of the district. House hold cooking is mostly done with the LPG.

There are no plants/ industriessuch as brick kilns, etc. extricating black carbon, established in Uttarkashi district. Eco friendly industries viz: Hotel/ Hospitality services, Solar plants, Agri Allied and Food Processing units are established in the district.

Farmers in this area does not resort to agricultural waste burning before sowing the new crop. Instead, cow dung manure is used for plant nutrient supplement in farming.

In Uttarkashi Forest Division, out of 2,24,370.60 hectare land area, only 182.12 hectare land area (i.e. 0.081%) was affected by forest fire in the last -06-years. Measures are in place to prevent/ minimize the fire incidents.

Due to above facts and measures adopted, the black carbon emission is very minimal in the area.

Report received from the concerned authorities are placed at Annexure-3, Annexure-4, Annexure-5 & Annexure-6.



Arjun Singh
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी



<p>3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/weirs/barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs.</p> <p>Deforestation may also be a reason for drying up of small/local streams.</p>	<p>A barrage is constructed on the Bhagarathi River near Maneri under the Maneri-Bhali Project which is being managed by Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVNL). The water flow from the barrage is being regulated as per the directions of Central Water Commission, Himalayan Ganga Division, Haridwar. Report from UJVNL is placed at Annexure-7.</p> <p>Uttarkashi Forest Division has planted a total of 34,39,319 plants, covering 3713.94 hectare land area, during the past -05- years which resulted in improvement in forest land cover area.</p> <p>As per the report of Forest Survey of India, there is an increase of 0.15 Sq/ km forest cover in Uttarkashi district in the year 2021 in comparison to the year 2019. Comments from concerned departments is placed at Annexure-6.</p>
<p>4. Sewage from Hotels/dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas.</p>	<p>A proper garbage disposal system is in place in all the municipalities of Uttarkashi district. The garbage is being segregated into bio-degradable and non-biodegradable categories at the source itself and non-biodegradable garbage is sold after completing compacting procedure.</p>

(Signature)
 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी



In Gangotri dham, one STP of 1.00 MLD capacity and one SPS with 2.27 Km sewage line is installed to manage/ control the sewage. In Uttarkashi town, one STP of 2.0 MLD is running with its full capacity at Gyansu.

Also, construction of 1.00 MLD capacity STP at Gangori, 01 SPS at Tekhla and 02 Mini SPS at Joshiyara is under consideration.

In Uttarkashi town, 23 hotels and 06 drainages are attached with sewage network. **Annexure-8.**

On an average, during off-season, Nagar Palika Uttarkashi collects about 10 tonnes of garbage from its own resources and during the yatra seasons, the garbage collection enhances to 14 tonnes per day.

Annexure-9

Besides, in addition to 19 existing "sulabh toilets", the tourism department has constructed 06 more hi-tech toilets and 18 steel structure toilets at various places in yatra routes.

Comments from concerned departments is placed at **Annexure-2.**

[Signature]
 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी

	<p>5. Agricultural run-off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.</p>	<p>To reduce the agriculture run-off, contamination of river/stream with pesticides and other chemicals, District Uttarkashi has launched programme like "Paramparagat Krishi Vikas Yojna" (PKVY), Namami Ganga and "Rastriya Krishi Vikas Yojna" (RKVY) to aware the resident about the issue.</p> <p>Under these projects, 144 training and awareness programs have been organized and approx. 9597 farmers have been sensitized about the harmful effect of pesticide and chemical fertilizer.</p> <p>Dunda block in Uttarkashi district has been declared as "Organic Block".</p> <p>Comments from concerned departments is placed at Annexure-5.</p>
--	---	--



4. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Uttarkashi, in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.


 जिलाधिकारी
 बजरकाशी
 DEPONENT

24567

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.



Verified by me at Uttarkashi, Uttarakhand on this _____ day of November, 2023.


DEPONENT
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Solemnly Affirmed by the deponent
Shri/Smt. Abhishek Ruhela (DM)
Identified by [Signature]
today dated 22-11-23 at 11:45 S.No-33.
A.M./P.M. before me the contents of
the affidavit explained to the deponent
who admits it to be true.


B. P. Mohan Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 8573
Distt. Uttarkashi (Uttarakhand)
22-11-23

Item No. 09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(BY HYBRID MODE)

Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 05.09.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Ms. Katyayni, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Gigi C. George, Adv. for NMCG
Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & SIDCUL
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB

ORDER

1. This Original Application, registered after transfer of the CWP No. 2737/1985 from the Hon'ble Supreme Court, involves the issue of prevention, control and abatement of pollution of river Ganga. The Tribunal vide order dated 28.08.2023, had expressed that the matter will be heard State-wise/city-wise involving the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.



1

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abutting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

"53. Constitution of District Ganga Protection Committees. - (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.


(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;

d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;



[Handwritten signature]

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio

(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.


55. Functions and powers of District Ganga Committees.- (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State



Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.-

(1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order -

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.-

(1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other



[Handwritten Signature]

authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga


- i. Chamoli
- ii. Dehradun
- iii. Haridwar
- iv. Pauri Garhwal
- v. Rudraprayag
- vi. Tehri
- vii. Uttarkashi

Tributaries

- viii. Nainital
- ix. Almora
- x. Pithoragarh
- xi. Champawat
- xii. Bageshwar
- xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

5



6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-

I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)


II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)

III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

I. UPPER HIMALAYAS (from source till Devprayag)

#	Cities / Panchayats	Issues
1.	Bhagirathi Basin i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	<p>1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact- Food security, water security and energy security of the Northern part of the country.</p> <p>2. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well.</p> <p>Gangotri-</p> <p>Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG), an autonomous institution under Department of Science & Technology, in a study conducted at Chirbasa station near Gangotri Glacier, for the Year 2016, found that <u>black carbon (BC)</u> concentration in this region has changed drastically during summer.</p> <p>Black carbon is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon.</p> <p>It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires</p>



#	Cities / Panchayats	Issues
		<p>(along the Himalayan slopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions.</p> <p>(As reported by WHIG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB)</p> <p>3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/ weirs/ barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small/ local streams.</p> <p>4. Sewage from Hotels/ dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas.</p> <p>5. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.</p> <p>6. Narendra Nagar and Tehri- MSW disposal and legacy waste.</p>
2.	<p>Alaknanda Basin</p> <p>i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandprayag x. Kaleshwar xi. Karnprayag xii. Gauchar xiii. Rudrapraya g xiv. Srinagar xv. Kirtinagar</p>	<p>1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above) 4. Joshimath and Chamoli- are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking. 5. Srinagar- River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP) Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter- generational usage). 6. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.</p>
3.	<p>Mandakini Basin</p> <p>i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni</p>	<p>1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley 6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.</p>
4.	<p>Yamuna Basin Badkot</p>	<p>1. Mostly clean at Yamunotri.</p>



Ans

7


#	Cities / Panchayats	Issues
	ii. Naugaon iii. Nainbagh iv. Vikasnagar v. Dhakrani	2. STP needed for towns/ panchayats with hotels and commercial buildings. 3. MSW disposal needed

II. MIDDLE RANGE (Devprayag till Rishikesh)

#	Cities/Panchayats	Issues
	<u>Ganga Basin</u> i.Devprayag ii.Kaudiyala iii. Singtali iv. Byasi v.Shivpuri vi.Rishikesh <u>Tributary cities</u> i. Almora ii. Haldwani iii. Kashipur iv. Sitarganj	1. Devprayag- Sewage/ FC. Status of STP operating and proposed. 2. Kaudiyala- Rishikesh: lots of hotels, tourists and related footprints, eg solid waste and sewage. Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Muni ki Reti. Tributaries cities- industrial and municipal/ legacy waste. Almora also witnesses mining issues. Agricultural run- off: Agricultural practices on the river bank may have considerable impact on contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.

III. PLAINS (Rishikesh to Roorkee)

#	Cities/Panchayats	Issues
	<u>Ganga Basin</u> i. Dehradun ii. Haridwar iii. Roorkee	1. Forest fires 2. water scarcity 3. sewage 4. MSW disposal 5. construction demolition waste 6. Industrial effluent discharge 7. Legacy waste 8. water consumption and waste water generation by Industries/ STPs and CETPs. 9. Mining



<u>Yamuna Basin</u>	1. Sewage
i. Dehradun	2. Industrial effluent discharge
	3. MSW disposal
	4. Assan river sand mining

8. The written submission also discloses the list of drains in Ganga River Rejuveation in Uttarakhand which is as under:-

LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION

Uttarkashi & Devprayag	1. Storm Water Drain Uttarkashi 2. Kodia nala Devprayag
Rishikesh	3. Triveni Drain/ Saraswati Nala 4. Rambha River 5. Lakkar Ghat STP Drain 6. IDPL- STP Drain 7. Swarg Ashram STP Drain 8. Gadhi Shyampur Drain
Haridwar	9. Jagjeetpur STP Drain 10. Kassavan Drain 11. Pandey wala Drain 12. Matri Sadan Drain
Laksar	13. Laksar Drain
Dehradun	

<https://epcb.nic.in/wqm/pollution-assessment-ganga-2013.pdf>



9. According to the information catered by the applicant, following industrial estates have been set up in the Ganga basin:

INDUSTRIAL ESTATE IN GANGA BASIN

[Handwritten Signature]


Integrated Industrial Estate	SIDCUL	Private Industrial Estate
<ul style="list-style-type: none"> Integrated Industrial Estate, IIE Haridwar Integrated Industrial Estate, Pantnagar Integrated Industrial Estate, Kotdwar Integrated Industrial Estate, Dehradun (IT Park) Integrated Industrial Estate, Selaqui (Pharma City) Integrated Industrial Estate, Kashipur (Escort Farm) Integrated Industrial Estate, Sitarganj Phase II 	<ul style="list-style-type: none"> SIDC, Tatasu Mazadi, Karnaprayag SIDC, Muni Ki Reti (Rishikesh) SIDC, Selaqui (Dehradun) Textile Park, Kashipur SIDC Kashipur SIDC-Haridwar-Site-II 	<ul style="list-style-type: none"> Dev Bhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee. M/S Omega Industrial Estate, Dabhora, Ahatmali, Kashipur. Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur-Bhagwanpur, Roorkee. M/S Mool Chand Industrial Estate Pvt. Ltd, M/S Gangapur Kashipur Industrial Area, Kashipur. M/S Rajpur-Bhagwanpur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee. M/S Sara Industrial Estates Ltd. Shankarpur-Hukmatpur, Dehradun (Joint venture between IEL and SIIDCUL).

INDUSTRIAL & CETP PROFILE

Total Number of Industries, 2023	Total CETPs, 2023
12728 (890 water polluting)	3 CETPs- 1 CETP Pantnagar & 1 CETP US Nagar- non-compliant.

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand

10



for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.


11. List this matter on 24.11.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 05, 2023
Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)
SN



24579

2 1

॥ कार्यालय, जिला पर्यटन विकास अधिकारी ॥

उत्तरकाशी-249193(उत्तराखण्ड) ई-मेल - dtdouk15@gmail.com



प0सं0:- 1128 / 1-2-(68) / 2023

दिनांक:- 3 अक्टूबर 2023
नवम्बर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वनप्रभाग, उत्तरकाशी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आवेदन सं0:- 200/2014 (सी0डब्लू0पी0नं0:- 3727 /1985) आई0ए0 न0:- 340/2022 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश के क्रम में विभागीय आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में आहुत बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन क्रम में विभागीय आख्या निम्नवत प्रस्तुत है:-

Department of tourism established tourist safety management system in 04 point (Barkot, Janki Chatti, Hina, Gangotri) of yatra route to manage in and out flow of yatrie/tourist to the Yamnotri and Gangotri dham also to keep a database on daily basis to regulate yatra. Total 11,15,586 yatri registered online for Yamnotri Dham and accordingly 10,42,370 being verified. For Gangotri Dham Total 12,09,564 registered online and accordingly 13,21,661 yatri being verified.

To control and manage traffic around 250 PRD jawan, Home guard personals along with police personal in adequate number being deployed in yatra route. To support and help the Yatri/tourist 38 Yatri mitra also deputed in Yamnotri and Gangotri Dham. have been registered and Beside 19 existing Sulav toilet tourism department established 6 new hi-tec toilet along with 18 new steel structure toilets on yatra route.

अतः विषयगत सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



प०प०सं० / समदिनांकित / 2023

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(जसपाल चौहान)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
उत्तरकाशी।

4/11/2023

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
उत्तरकाशी

24580

ANNEXURE-3 Page-1



कार्यालय उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।

Office: Forest Colony (Kotbanglow) Dist. Uttarkashi. Email- ddgnpuki@gmail.com
उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाइन न० 18008909715 (टोल फ्री)

पत्रांक : 400 /12-1 कोटबंगला,

दिनांक: 11/10/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
उत्तरकाशी।

विषय :-

माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के आवेदन संख्या 200/2014 (सी० डब्ल्यू० पी० न०-3727/1985), आई०ए० न०-340/2022 एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के संबंध में।

सन्दर्भ :-
महोदय

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग पत्रांक 1382/12-1 दिनांक 07.10.2023

अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा दिए गए उपरोक्त आदेश में जी ब्लैक कार्बन की स्टडी के संबंध में अपने आदेश में उल्लेख किया गया है उस स्टडी के संबंध में कोई भी अभिलेख प्रभाग कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिस कारण उक्त रिपोर्ट के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है।

गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के संबंध में अवगत कराना है कि पार्क का संपूर्ण भाग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं पार्क का अधिकांश भाग लगभग वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है एवं शेष भाग में केवल 6 माह के लिए ही सामान्य आवाजाही संभव हो पाती है। पार्क क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पार्क के कनखू बैरियर से गोमुख/तपोवन तक जाने वाले श्रद्धालु केवल पैदल ही जा सकते हैं जिस कारण ऐसा कोई भी प्रदूषण करने वाला कारक गोमुख की तरफ इस बैरियर से प्रवेश कर नहीं कर सकता है। गंगोत्री में स्थित कनखू बैरियर से आगे चीड़बासा जाने हेतु सड़क मार्ग न होने के कारण यात्रा केवल पैदल मार्ग से ही होती है जिसमें माह अप्रैल से माह नवम्बर तक की समय अवधि में प्रतिदिन अधिकतम 150 व्यक्तियों व 15 खच्चरों को जाने की अनुमति है।

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए स्थापित विभागीय व्यवस्था के अनुसार अग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून तक की अवधि तक प्रभाग के विभिन्न स्थानों पर 5 क्यू स्टेशनों की स्थापना कर वनाग्नि को नियंत्रित करने के समस्त उपकरणों से सुसजित करते हुए आवश्यकतानुसार सामयिक कर्मचारियों एवं फायर वाचरों की तैनाती की जाती है ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावे। यदि कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसे तत्काल नियंत्रित कर दिया जाता है। पार्क का एक अन्य गेट भैरोंघाटी में स्थित है उक्त बैरियर से होकर मुख्यतः भारतीय सेना, बी०आर०ओ०, आई०टी०बी०पी० एवं वन विभाग के वाहनों को ही प्रवेश करने की अनुमति है केवल कुछ समय के लिए इस बैरियर से नेलांग वैली तक के लिए पर्यटकों को मात्र 6 वाहनों की अनुमति प्रदान की जाती है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पार्क की सीमा के भीतर केवल एक ही स्थान पर वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति है जो पार्क की सीमा में एक मात्र प्रदूषण करने वाले कारक है इसके अतिरिक्त पार्क की सीमाओं के भीतर प्रदूषण करने वाले किसी भी प्रकार का स्रोत नहीं है।

भवदीय

उप निदेशक
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि -

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप निदेशक
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क
उत्तरकाशी।

Chandan Singh Rawat
12-Land Transfer and Lease/Letter's Land
Reg. 13411
Distt.-Uttarkashi, Uttarakhand

प्रेषक

महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई, दिल्ली आवेदन सं0- 200/2014 (सी.डब्ल्यू. पी. न0-3727/1985) आई.ए.न.-340/2022 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.9.2023 के सम्बन्ध में।

पत्रांक/1024/जि0उ0के0/2023-24
महोदय,

दिनांक 12, अक्टूबर, 2023

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1382 दिनांक 07.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विन्दु सं0- 15 में अंकित गंगोत्री से धरासू तक के क्षेत्र में ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गंगोत्री से धरासू तक के क्षेत्र में ब्लैक कार्बन उत्सर्जित एवं पर्यावरण प्रदूषित करने वाले उद्योग स्थापित नहीं है तथा जनपद में भी कार्बन उत्सर्जित एवं पर्यावरण प्रदूषित करने वाले उद्योग स्थापित नहीं है।



[Handwritten Signature]

भवदीया
[Handwritten Signature]
महा-प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तरकाशी।

[Handwritten Signature]
01/11/2023
Chandan Singh Rawat
Advocate & Notary
Reg. 13411
Dist.-Uttarakashi, Uttarakhand

कार्यालय- मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।

विकास भवन- ललिङ्ग, उत्तरकाशी।

फोन नं०- 01374-226057 ई मेल पता- caouki.agri2011@gmail.com

ANNEXURE- 5 Page

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
कोटबंगला, उत्तरकाशी।

पत्रांक 742/मु0कृ0अ0उ0/गंगा समिति पत्रावली/2023-24/दिनांक 13.10.2023

विषय :- दिनांक 11.08.2023 को जिला गंगा समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक 11.08.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है कि गंगा बेसिन के पास गांव में खेतों में प्रयोग की जानी वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड लगाये जाने तथा इस सम्बन्ध में सर्वे भी कर लिया जाय। यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, तो सम्बन्धितों को नोटिस जारी करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी के 30 ग्राम एवं विकास खण्ड-डुण्डा के 18 ग्रामों में 3000 हैक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए 144 प्रशिक्षण का आयोजन कर लगभग 7000 कृषकों को जैविक कृषि अपनाने तथा रासायनिक कीटनाशकों के मृदा, जल एवं मानव जीवन पर होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए जागरूक किया गया। विकास खण्ड-डुण्डा को पूर्ण रूप से जैविक विकास खण्ड घोषित किया गया है। विकास खण्ड-चिन्वालीसौड़ में भी नमामि गंगे योजनान्तर्गत 2000 हैक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है जिसके लगभग 2597 कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से रासायनिक कीटनाशकों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गयी है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरकाशी।

मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पत्रांक-
प्रतिलिपि-

/तददिनांकित।

जिलाधिकारी, महोदय, उत्तरकाशी की सेवा में सादर सूत्रनार्थ प्रेषित।

9/11/2023

256 office letter

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक- 1498/ 12-1 कोटबंगला, दिनांक 13/10 /2023

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय,
उत्तरकाशी।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आवेदन सं0-200/2014 (सी0डब्लूपी0नं0:-3727/1985) आई0ए0 नं0:-340/2022 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार संघ व अन्य में पारित आदेश के क्रम में विभागीय आख्या।

महोदय,

दिनांक 06.10.2023 को आपकी अध्यक्षता में गंगा समिति की आयोजित बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आवेदन सं0-200/2014 (सी0डब्लूपी0नं0:-3727/1985) आई0ए0 नं0:-340/2022 एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार संघ व अन्य में पारित आदेशों के सम्बन्ध में आपके स्तर से योजित किये जाने वाले Affidavit के सम्बन्ध में चर्चा की गई। उक्त चर्चा में आपके द्वारा प्रभाग को दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचना निम्न प्रकार से है:-

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा अभिकथित किया गया है कि जंगल की आग के कारण ग्रीष्मकाल में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है।

उक्त कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त कथन स्वीकार्य है कि जंगल की आग के कारण ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है, परन्तु प्रभाग की सीमाओं के अन्तर्गत यह कथन पूर्णतः लागू नहीं होता है जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के उक्त कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभाग के अन्तर्गत वनाग्नि की विगत 06 वर्षों की घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	प्रभाग के अन्तर्गत वनाग्नि की कुल घटनायें	वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल (आरक्षित व सिविल)
2018	59	53.50
2019	78	47.72
2020	0	0
2021	24	16.45
2022	91	62.20
2023	6	2.25
योग:-	258	182.12

महोदय अवगत कराना है कि प्रभाग का क्षेत्रफल 224370.60 है0 है। जिसमें विगत छः वर्षों में अग्नि से प्रभावित होने वाला कुल क्षेत्रफल 182.12 है0 है0 है, जो कि कुल क्षेत्र का लगभग 0.081 प्रतिशत है।

महोदय को अवगत करना है कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिये स्थापित विभागीय व्यवस्था के अनुसार वनाग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून की अवधि के लिये मनाया जाता है जिसमें प्रभाग के विभिन्न स्थानों पर 41-क्यूस्टेशनों की स्थापना कर वनाग्नि को नियंत्रित करने के समस्त उपकरणों से सुसज्जित करते हुये सामायिक कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। वर्तमान में वनाग्नि पर निगरानी करने के लिये राज्य में फायर



अलर्ट सिस्टम भी कार्यरत है, जो कि किसी भी वनाग्नि की दुर्घटना होने पर तुरन्त ही सम्बन्धित कर्मचारियों को वनाग्नि के घटना स्थल की जानकारी का प्रेषण कर देता है जिससे वनाग्नि स्थल पर कर्मचारी तुरन्त पहुंच कर वनाग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।

2. धराओं के सूखने का कारण Deforestation भी है।

मा0 NGT के उक्त कथन स्वीकार्य हैं, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 NGT का यह कथन प्रभाग की सीमाओं के अन्तर्गत लागू नहीं होता है।

वन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा कराये जा रहे Afforestation के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य Degraded land को वृक्षारोपण कर वनावरण बढ़ाना व ऐसे वन क्षेत्र जिसमें वृक्षों का घनत्व कम है, उन क्षेत्रों को वनावरण द्वारा संघन वन में परिवर्तित करना।

प्रभाग द्वारा भी विभाग के जन आदेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष ऐसे स्थानों का चयन कर वृक्षारोपण कार्य कर वन क्षेत्र का बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। विगत 05 वर्षों के वन प्रभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सूचना निम्न प्रकार है:-


क्र०सं०	वर्ष	क्षेत्रफल	रोपित पौधों की संख्या
1	2019-20	357.00	372700
2	2020-21	690.00	555000
3	2021-22	904.57	897627
4	2022-23	659.745	586303
5	2023-24	1102.63	1027689

प्रभाग द्वारा किये गये इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का विभाग में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर विभाग में स्थापित मानको के अनुसार वृक्षारोपण की सफलता को बनाने का प्रयास प्रभाग द्वारा किया जाता है।

प्रभाग व उत्तरकाशी के जिले के अन्य प्रभागों के संयुक्त प्रयास द्वारा विगत वर्षों में किये गये वृक्षारोपण के कारण जिले में वन क्षेत्र में अपेक्षित सुधार हुआ है जिसकी पुष्टि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट से किया जा सकता है जिसके अनुसार

“फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के वर्ष 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तरकाशी जिले में वर्ष 2019 के सापेक्ष वनावरण में 0.15 वर्ग कि०मी० की वृद्धि हुयी है” (रिपोर्ट संलग्न)।

अतः विषयगत आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




23/11/2023
Chandan Singh Rawat
Advocate & Notary
Reg. 10411
Dist.-Uttarkashi, Uttarakhand

भवदीय

(डी०पी० बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।


मनेरी बांध से भागरथी नदी में प्रतिदिन छोड़े जाने वाले पर्यावरणीय जल प्रवाह (E-Flow) के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या D.L.-33004/99 दिनांक 09.10.2018 के द्वारा भागीरथी नदी में पर्यावरणीय जल प्रवाह को निर्धारित करना सुनिश्चित किया गया है। इस क्रम में मनेरी बांध से भी प्रतिदिन निरन्तर पर्यावरणीय जल प्रवाह (E-Flow) सुनिश्चित किया जाता है। प्रतिदिन छोड़े जाने वाले इस पर्यावरणीय जल प्रवाह के लक्ष्य का निर्धारण केन्द्रीय जल आयोग, हिमालयी गंगा मण्डल, हरिद्वार द्वारा किया जाता है। इसी लक्ष्य के अनुरूप मनेरी बांध से पर्यावरणीय जल प्रवाह (E-Flow) सुनिश्चित किया जाता है जिसकी मॉनीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी की जाती है। प्रतिदिन का पर्यावरणीय जल प्रवाह (E-Flow) का डाटा भी केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया जाता है।

Rich
07/10/2023

(राजीव सिंह)

अधिशाली अभियन्ता (वि०/या०)
यूजेवीएन लिमिटेड, मनेरी बांध,
मनेरी, उत्तरकाशी।



Rich

Rich
11/11/2023

Rich
11/11/2023
Rich
11/11/2023


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4009]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2018/आश्विन 18, 1940

No. 4009]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018/ASVINA 18, 1940

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5195(ब).—गंगा नदी अत्यधिक पवित्र और इस देश के लोगों द्वारा अत्यंत पूजनीय है तथा गंगा नदी बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र के निबंधनानुसार भारत में बृहत्तम नदी बेसिन है, जिसमें संपूर्ण देश की छद्बीम प्रतिशत भूमि सम्मिलित है तथा जो लगभग पचास करोड़ जनसंख्या के लिए परोपणीय है;

और गंगा नदी विशेष गुणों, विशिष्टताओं तथा महत्व के रूप में अद्वितीय है जिसका महत्वपूर्ण नैतिक और स्थानिक प्रभाव भिन्नता के साथ जल-विज्ञान, भू-आकृतिक विज्ञान, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारण है;

और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है तथा नदी-प्रणाली में मिर्चाई, घरेलू, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए बेसिन में सदैव पानी की बढ़ती मांग के साथ घरेलू अपशिष्ट और आद्योगिक अपशिष्ट सहित विभिन्न स्रोतों में प्रदूषण प्रवेश कर रहा है, जो नदी के स्वास्थ्य को लंबे समय से प्रभावित कर रहा है;

और भारत सरकार समुचित पर्यावरण प्रवाह तथा साथ ही नदी में प्रदूषण के प्रवेश के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए नदियों की पोटिकता की बहाली करने और उसे बनाए रखने के लिए बचनबद्ध है;

और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गंगा नदी में हर समय पानी के निर्वाह प्रवाह को पूरी तरह से बनाए रखा जाए, जिससे मौसमी भिन्नताओं को बढ़ते बिना नदी में प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित हो सके;

केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन अधिमूचना का.आ. 3187 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2016 द्वारा गंगा नदी जलधेय के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंध तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया था, अर्थात्:-

(क) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय बहनीय संरक्षण, संरक्षा और प्रबंध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदैव विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विंदुओं पर बनाए रखने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिक

5941 GI/2018

(v) परियावरणीय प्रवाहों को बनाए रखने के लिए जल की वांछनीय मात्राओं की निर्मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए, इन नदी आगमों में प्रवाह की दशाएं समय-समय पर कालिक अंतरालों पर मानीटर की जाएंगी;

(vi) केंद्रीय जल आयोग अभिहित प्राधिकारी तथा डाटा का संरक्षक होगा तथा प्रवाहों के पर्यवेक्षण, मानीटरिंग, विनियमन तथा जब कभी अपेक्षित हो, समुचित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह किसी आपात स्थिति की दशा में जल भंडारण मानदंडों के बारे में तत्काल निर्णय लेने के लिए भी प्राधिकृत है। केंद्रीय जल आयोग वैसासिक आधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रवाह मानीटरी-मह-अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(vii) संबंधित परियोजना विकामकर्ता या प्राधिकारी इस अधिसूचना की तारीख में छह मास के भीतर केंद्रीय जल आयोग विनिर्दिष्ट उचित अवस्थानों पर परियोजना स्थलों पर स्वचालित डाटा अर्जन और डाटा प्रेषण प्रसुविधाएं या अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना लगाएगा। प्रवाह मानीटरी प्रसुविधा को लगाने, अंशांकन करने, उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व परियोजना विकामकर्ताओं या प्राधिकारियों का होगा और वे समय-समय पर केंद्रीय जल आयोग को डाटा प्रस्तुत करेंगे;

(viii) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से, जब कभी अपेक्षित हो, गंगा नदी में विशेष मांग को पूरा करने के लिए अनिश्चित जल को निर्मुक्त करने का निदेश दे सकेगी।

IV. संबंधित केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण, मिंचार्ड का प्रभावी टंग, जल का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूजल निकालने की मानीटरिंग और विनियमन भी है, जैसे अच्छे और वैज्ञानिक व्यवहारों को अपना कर गंगा नदी के जल निकालने में कमी करने के लिए मांग पक्ष प्रबंध योजना कार्यान्वित करेंगे।

3. यह आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होगा।

4. यह आदेश उद्भव वाले ग्लेशियरों में आरंभ होने वाले उपरी गंगा नदी बेसिन तथा देवप्रयाग से हरिद्वार तक और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले तक गंगा नदी की मुख्य धारा को तथा अंत में मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियों के क्रमवर्ती सम्मिलनों पर लागू होगा।

[फा. सं. - Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION
(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)**

ORDER

New Delhi, the 9th October, 2018

S.O.5195(E).—Whereas, the River Ganga is the most sacred and deeply revered by the people of this country and the Ganga river basin is the largest river basin in India in terms of catchment area, constituting twenty six per cent of the country's land mass and supporting about half a billion population;

And whereas, River Ganga is unique as having special properties, features and importance, holding reasons that are hydrological, geomorphological, historical, socio-cultural and economical with significant temporal and spatial flow variation;


And whereas, River Ganga has been given status of a National river and the ever increasing demand for water in the basin for irrigation, domestic, industrial and other purposes coupled with pollution ingress from different sources including domestic waste, industrial waste, into river system is affecting the health of the said river for long;

And whereas, the Central Government is committed to restore and maintain the wholesomeness of the rivers ensuring appropriate environment flows and simultaneously preventing the pollution ingress into the said river;

And whereas, it is considered necessary to ensure that uninterrupted flows of water are maintained throughout its length at all times in River Ganga to ensure continuity of flows in the river without altering the seasonal variations;

And whereas the Central Government vide notification S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has constituted an authority, namely, the National Mission for Clean Ganga for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga basin for the following purposes, namely:-

(a) to determine the magnitude of ecological flow in the River Ganga and its tributaries required to be maintained at different points in different areas at all times with the aim of ensuring water quality and environmentally



[Handwritten Signature]

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह सितम्बर वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-09-2023	222.73	70.87	152.53	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
02-09-2023	233.80	70.87	160.86	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
03-09-2023	223.31	70.87	152.44	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
04-09-2023	201.72	70.87	129.82	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
05-09-2023	182.86	70.07	111.74	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
06-09-2023	156.90	70.87	86.43	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
07-09-2023	153.70	70.87	81.75	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
08-09-2023	157.12	70.87	87.09	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
09-09-2023	161.19	69.27	91.92	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
10-09-2023	176.20	70.87	105.16	63.681	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
11-09-2023	142.84	70.87	72.13	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
12-09-2023	151.51	70.87	79.32	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
13-09-2023	156.21	70.87	85.31	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
14-09-2023	161.44	70.87	91.25	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
15-09-2023	168.05	70.87	97.62	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
16-09-2023	150.79	70.87	80.15	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
17-09-2023	145.28	70.87	74.18	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
18-09-2023	154.38	70.87	83.51	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
19-09-2023	156.26	70.87	85.86	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
20-09-2023	153.64	70.87	82.53	52.991	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
21-09-2023	152.67	70.87	81.11	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
22-09-2023	148.01	70.87	76.97	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
23-09-2023	137.82	70.87	66.14	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
24-09-2023	133.13	70.87	63.70	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
25-09-2023	126.48	68.47	57.39	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
26-09-2023	114.12	70.87	48.08	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
27-09-2023	118.44	70.87	47.80	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
28-09-2023	119.67	69.64	47.79	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
29-09-2023	114.41	70.87	47.77	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
30-09-2023	111.49	66.03	47.75	47.758	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक

Target of E-Flow for the Month of September, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 September to 10 September 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN, Dated - 28-08-2023	63.681	30 % of Monthly average flow observed during each of proceeding 10 daily Period
From 11 September to 20 September 2023		52.991	
From 21 September to 30 September 2023		47.758	



सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिरासी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बंराज/विद्युत प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
नाई अगस्त वर्ष 2023

24589

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
यूजवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्तारण (River Discharge) (क्यूनेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूनेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूनेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूनेक)	कालन 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-08-2023	361.61	70.87	290.30	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
02-08-2023	347.87	70.87	277.49	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
03-08-2023	346.63	70.87	275.76	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
04-08-2023	344.28	67.92	276.47	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
05-08-2023	343.41	70.87	271.80	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
06-08-2023	365.61	68.47	279.59	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
07-08-2023	347.72	70.87	276.70	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
08-08-2023	345.07	70.87	273.29	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
09-08-2023	337.40	52.91	285.26	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
10-08-2023	327.59	70.07	257.67	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
11-08-2023	327.11	70.07	257.48	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
12-08-2023	329.94	70.87	258.92	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
13-08-2023	343.37	70.87	272.36	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
14-08-2023	438.00	70.87	366.98	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
15-08-2023	369.19	70.87	298.32	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
16-08-2023	338.28	70.87	266.50	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
17-08-2023	323.11	70.87	252.24	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
18-08-2023	331.53	64.47	267.22	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
19-08-2023	301.16	70.87	228.94	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
20-08-2023	305.47	69.27	236.02	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
21-08-2023	317.75	49.95	268.67	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
22-08-2023	317.91	70.87	248.14	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
23-08-2023	309.76	61.00	248.62	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
24-08-2023	264.60	70.87	193.27	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
25-08-2023	258.04	70.87	187.79	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
26-08-2023	247.28	70.87	175.31	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
27-08-2023	233.78	70.87	163.24	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
28-08-2023	215.91	69.27	145.97	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
29-08-2023	194.27	70.87	122.15	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
30-08-2023	194.79	70.87	121.32	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
31-08-2023	208.95	70.87	140.30	67.817	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक

Target of E-Flow for the Month of August, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 August to 10 August 2023	C.W.C. File No. T-33053 1/2020-GD DTE - DEHRADUN. Dated - 27-07-2023	76.650	30 % of Monthly average flow observed during each of proceeding 10 daily Period
From 11 August to 20 August 2023		76.213	
From 21 August to 31 August 2023		67.817	



(Himanshu Singh) (Pankaj Bhatt)

(Signature)
सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

(Signature)
अधिरासी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/बोर्डिंग/नदी में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह जुलाई वर्ष 2023

24590

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक) ¹	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-07-2023	288.42	49.53	239.08	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
02-07-2023	299.72	51.68	248.74	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
03-07-2023	298.18	49.53	248.99	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
04-07-2023	312.74	50.60	263.37	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
05-07-2023	255.60	51.68	203.32	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
06-07-2023	262.52	51.68	210.04	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
07-07-2023	251.45	51.68	200.87	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
08-07-2023	266.05	51.68	213.44	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
09-07-2023	498.44	31.79	473.19	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
10-07-2023	547.15	24.45	524.61	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
11-07-2023	723.55	0.00	723.89	51.204	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
12-07-2023	599.05	0.00	599.11	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
13-07-2023	506.77	26.58	473.69	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
14-07-2023	336.23	69.21	266.21	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
15-07-2023	360.51	58.84	301.08	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
16-07-2023	520.64	51.68	469.70	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
17-07-2023	470.47	49.53	420.83	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
18-07-2023	476.08	41.16	434.92	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
19-07-2023	431.91	70.87	361.14	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
20-07-2023	510.43	70.87	440.22	72.987	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
21-07-2023	489.15	68.19	420.20	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
22-07-2023	471.31	70.87	400.39	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
23-07-2023	459.28	46.17	413.16	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
24-07-2023	496.99	70.87	426.12	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
25-07-2023	479.36	70.87	409.00	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
26-07-2023	500.91	56.97	443.43	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
27-07-2023	455.63	70.87	384.76	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
28-07-2023	445.39	70.87	374.03	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
29-07-2023	507.54	70.87	436.82	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
30-07-2023	403.54	69.38	333.24	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक
31-07-2023	357.28	56.08	302.41	72.868	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अधिक

Target of E-Flow for the Month of July, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 July to 10 July 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN, Dated - 30-06-2023	51.204	30 % of Monthly average flow observed during each of proceeding 10 daily Period
From 11 July to 20 July 2023		72.987	
From 21 July to 31 July 2023		72.868	

(Signature)
अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



(Signature)
अधीक्षक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

(Signature)

(Signature)
अधीक्षक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बेराज/सिंचन/सिद्धि में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह जून वर्ष 2023

24591

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक) ¹	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-06-2023	97.86	70.87	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
02-06-2023	88.92	51.97	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
03-06-2023	70.03	39.21	32.30	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
04-06-2023	71.26	38.20	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
05-06-2023	72.67	39.46	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
06-06-2023	68.91	38.51	32.30	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
07-06-2023	69.36	36.30	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
08-06-2023	70.05	34.40	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
09-06-2023	81.28	44.69	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
6-2023	82.32	55.71	32.18	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
11-06-2023	103.52	60.55	41.81	32.172	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
12-06-2023	114.36	69.71	41.98	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
13-06-2023	126.20	70.87	55.33	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
14-06-2023	160.70	70.87	94.93	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-06-2023	164.48	70.87	93.61	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-06-2023	133.77	55.94	77.19	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-06-2023	153.47	70.87	85.18	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-06-2023	164.23	70.87	92.09	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-06-2023	159.65	68.99	90.45	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-06-2023	204.53	70.87	133.66	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-06-2023	237.21	70.87	166.34	41.790	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-06-2023	277.18	50.20	227.18	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-06-2023	308.11	52.48	255.20	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-06-2023	302.24	39.84	263.78	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-06-2023	281.76	50.60	231.54	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-06-2023	242.54	50.60	191.97	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-06-2023	249.14	51.68	197.36	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-06-2023	294.28	51.68	243.31	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-2023	292.70	51.68	242.63	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-06-2023	290.99	51.68	238.43	41.253	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक

Target of E-Flow for the Month of June, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 June to 10 June 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN/843-49, Dated - 31-05-2023	32.172	30 % of Monthly average flow observed during each of proceeding 10 daily Period
From 11 June to 20 June 2023		41.790	
From 21 June to 30 June 2023		41.253	


अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी


अधिरासी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी


विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह मई वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता विकासकर्ता			तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट यूजेवीएन लिमिटेड		
दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-05-2023	50.46	35.25	10.79	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
02-05-2023	48.14	38.82	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
03-05-2023	50.46	38.22	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
04-05-2023	45.83	39.27	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
05-05-2023	46.74	35.72	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
06-05-2023	48.71	36.61	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
07-05-2023	44.76	37.78	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
08-05-2023	44.35	29.55	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
09-05-2023	43.76	30.81	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
10-05-2023	39.62	32.40	10.78	10.781	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
11-05-2023	43.19	31.60	11.58	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
12-05-2023	51.10	34.49	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
13-05-2023	54.19	45.89	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
14-05-2023	57.70	48.96	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
15-05-2023	56.32	44.53	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
16-05-2023	58.84	42.63	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
17-05-2023	65.93	51.86	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
18-05-2023	62.14	59.51	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
19-05-2023	69.23	54.79	11.57	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
20-05-2023	74.09	61.46	11.58	11.571	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
21-05-2023	81.86	67.50	14.82	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
22-05-2023	90.69	70.87	18.94	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-05-2023	99.08	64.96	33.33	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-05-2023	102.57	70.87	31.22	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-05-2023	93.95	70.87	24.36	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-05-2023	84.73	70.07	17.06	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-05-2023	81.90	70.87	14.81	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
28-05-2023	70.15	50.83	21.92	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-05-2023	91.87	70.87	14.83	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
30-05-2023	86.38	70.87	14.84	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य के अनुरूप
31-05-2023	97.12	70.87	27.14	14.818	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	65.67	50.95	14.74	12.47	25 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of May, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 May to 10 May 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 01-05-2023	10.781	25% of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 May to 20 May 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 11-05-2023	11.571	
From 21 May to 31 May 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 22-05-2023	14.818	

अवर अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिरासी अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

24593


विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह अप्रैल वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता विकासकर्ता		तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट यूजेवीएन लिमिटेड			
दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक) ¹	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-04-2023	32.35	27.68	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-04-2023	31.90	24.83	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-04-2023	31.91	24.19	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-04-2023	31.35	23.56	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-04-2023	30.54	23.56	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-04-2023	29.76	23.56	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-04-2023	30.58	21.03	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-04-2023	29.54	22.29	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-04-2023	32.38	24.05	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-04-2023	31.68	23.89	7.79	7.789	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-04-2023	32.01	23.42	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-04-2023	33.22	25.00	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-04-2023	35.54	26.58	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-04-2023	37.84	28.96	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-04-2023	40.75	30.19	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-04-2023	35.73	31.33	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-04-2023	43.41	29.01	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-04-2023	44.98	37.18	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-04-2023	49.77	43.23	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-04-2023	57.96	50.64	7.80	7.800	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-04-2023	54.42	48.12	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-04-2023	43.32	34.36	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-04-2023	43.94	32.18	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-04-2023	40.15	32.83	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-04-2023	43.37	30.29	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-04-2023	40.62	27.65	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-04-2023	40.72	30.62	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-04-2023	39.34	28.34	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-04-2023	44.36	34.80	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-04-2023	40.99	33.68	10.28	10.280	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	38.48	29.90	8.62	8.62	25 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of April, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 April to 10 April 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 01-04-2023	7.789	25% of Monthly average flow observed during each of proceeding 10 daily Period
From 11 April to 20 April 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -12-04-2023	7.800	
From 21 April to 30 April 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -21-04-2023	10.280	

अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह मार्च वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-03-2023	27.73	22.67	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-03-2023	27.25	22.04	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-03-2023	28.66	20.77	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-03-2023	28.06	22.67	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-03-2023	26.40	22.67	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-03-2023	29.02	20.14	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-03-2023	26.97	22.67	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-03-2023	29.06	21.52	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-03-2023	30.20	22.67	6.00	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-03-2023	27.34	22.67	5.62	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-03-2023	30.06	22.67	5.61	6.001	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-03-2023	29.55	23.94	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-03-2023	30.02	23.31	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-03-2023	28.90	25.21	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-03-2023	28.60	24.57	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-03-2023	30.90	22.67	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-03-2023	29.14	23.31	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-03-2023	27.74	23.94	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-03-2023	29.55	23.94	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-03-2023	31.37	22.67	5.61	5.614	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-03-2023	32.41	25.21	5.91	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-03-2023	28.27	27.58	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-03-2023	31.46	22.67	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-03-2023	30.31	23.94	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-03-2023	30.49	24.57	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-03-2023	32.79	26.47	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-03-2023	30.97	27.36	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-03-2023	31.57	24.83	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-03-2023	30.75	24.83	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-03-2023	32.29	22.04	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
31-03-2023	30.58	27.04	5.92	5.916	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	29.63	23.65	5.83	5.85	20 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of March, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 March to 10 March 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 01-03-2023	6.001	20% of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 March to 20 March 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -11-03-2023	5.614	
From 21 March to 31 March 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -21-03-2023	5.916	

Whearin

अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



Anant

सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

Rishi

अभिशासी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह फरवरी वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता		तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट			
विकासकर्ता		यूजेवीएन लिमिटेड			
दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-02-2023	33.25	25.46	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-02-2023	32.03	26.57	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-02-2023	33.76	25.30	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-02-2023	30.70	26.54	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-02-2023	31.78	25.94	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-02-2023	31.22	25.94	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-02-2023	30.85	25.52	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-02-2023	30.57	24.73	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-02-2023	30.84	23.94	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-02-2023	30.97	24.73	5.84	5.837	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-02-2023	29.50	24.72	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-02-2023	29.31	23.94	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-02-2023	31.85	23.47	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-02-2023	31.83	25.52	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-02-2023	33.08	25.52	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-02-2023	31.29	26.79	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-02-2023	34.69	26.79	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-02-2023	33.21	27.11	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-02-2023	33.42	27.11	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-02-2023	30.99	26.47	6.31	6.319	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-02-2023	29.97	26.47	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-02-2023	34.73	23.47	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-02-2023	27.21	26.47	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-02-2023	31.01	22.52	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-02-2023	30.42	22.52	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-02-2023	29.46	23.31	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-02-2023	29.12	22.67	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-02-2023	28.12	22.67	6.38	6.383	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly verage	31.26	25.08	6.16	6.17	20 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of February , 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 February to 10 February 2023	C.W.C. File No. T-33053/1 2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 01-02-2023	5.837	20% of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 February to 20 February 2023	C.W.C. File No. T-33053/1 2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -12-02-2023	6.319	
From 21 February to 28 February 2023	C.W.C. File No. T-33053/1 2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -21-02-2023	6.383	

अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अभिजासी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह जनवरी वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता विकासकर्ता			तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट यूजेवीएन लिमिटेड		
दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-01-2023	32.21	0.00	32.21	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-01-2023	32.04	0.00	32.04	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-01-2023	32.37	0.00	32.37	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-01-2023	31.56	0.00	31.56	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-01-2023	32.04	0.00	32.04	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-01-2023	32.04	0.00	32.04	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-01-2023	28.41	0.00	23.41	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-01-2023	34.98	11.15	12.25	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-01-2023	31.91	27.10	6.60	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-01-2023	29.80	25.84	6.60	6.602	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-01-2023	31.81	25.84	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-01-2023	27.92	23.31	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-01-2023	32.74	22.04	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-01-2023	30.78	25.71	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-01-2023	28.65	24.76	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-01-2023	28.99	23.94	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-01-2023	30.02	22.37	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-01-2023	31.12	20.77	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-01-2023	30.29	23.94	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-01-2023	29.41	23.31	6.35	6.347	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-01-2023	27.36	23.94	6.04	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-01-2023	31.13	23.56	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-01-2023	28.56	24.19	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-01-2023	30.15	24.19	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-01-2023	30.39	24.19	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-01-2023	29.59	23.56	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-01-2023	32.02	20.58	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-01-2023	24.99	25.46	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-01-2023	28.70	22.67	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-01-2023	29.74	24.26	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
31-01-2023	28.40	22.93	6.03	6.035	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	30.33	18.05	11.97	6.32	20 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of January, 2023 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 January to 10 January 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 02-01-2023	6.602	20% of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 January to 20 January 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 12-01-2023	6.347	
From 21 January to 31 January 2023	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 21-01-2023	6.035	

अवर अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

24597

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता		तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट			
विकासकर्ता		यूजेवीएन लिमिटेड			
दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक) ¹	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-12-2022	46.75	36.14	9.40	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-12-2022	44.16	35.66	9.38	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-12-2022	45.17	32.24	9.35	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-12-2022	40.64	33.98	9.37	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-12-2022	46.98	30.36	9.40	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-12-2022	40.39	35.53	9.37	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-12-2022	43.55	33.53	9.39	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-12-2022	40.46	33.05	9.38	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-12-2022	41.87	32.10	9.38	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-12-2022	40.78	31.82	9.38	9.371	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-12-2022	39.57	31.12	8.61	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-12-2022	39.22	30.12	8.63	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-12-2022	39.31	29.73	8.64	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-12-2022	38.54	29.47	8.64	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-12-2022	38.04	28.78	8.61	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-12-2022	38.10	29.03	8.62	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-12-2022	37.56	28.56	8.62	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-12-2022	37.16	28.94	8.62	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-12-2022	36.23	28.94	8.62	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-12-2022	35.46	28.37	8.64	8.615	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-12-2022	35.13	27.99	7.60	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-12-2022	34.19	27.99	6.24	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-12-2022	32.95	26.72	6.14	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-12-2022	30.62	14.56	27.93	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-12-2022	35.24	0.00	35.21	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-12-2022	32.37	0.00	32.37	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-12-2022	32.85	0.00	32.85	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-12-2022	32.37	0.00	32.37	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-12-2022	32.69	0.00	32.69	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-12-2022	32.69	0.00	32.69	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
31-12-2022	32.04	0.00	32.04	6.130	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	37.84	23.38	14.78	7.98	20 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of December, 2022 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 December to 10 December 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 01-12-2022	9.371	20% of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 December to 20 December 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -12-12-2022	8.615	
From 21 December to 31 December 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -21-12-2022	6.130	

अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिसारी अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/सीप/टनल/नदी में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
 बांध निर्माण वर्ष 2022

24598

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
 विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
 यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक) ¹	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-11-2022	60.90	44.22	15.14	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-11-2022	64.77	45.27	15.36	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-11-2022	53.95	42.53	15.63	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-11-2022	60.92	42.26	15.14	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-11-2022	54.32	42.63	15.14	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-11-2022	56.68	41.78	15.16	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-11-2022	55.17	41.78	15.18	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-11-2022	54.34	40.10	15.15	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-11-2022	56.74	41.78	15.14	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-11-2022	54.93	38.41	15.15	15.142	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
1-2022	54.06	38.41	11.51	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-11-2022	50.22	40.95	11.46	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-11-2022	50.07	38.41	11.45	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-11-2022	49.61	40.10	11.41	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-11-2022	49.45	38.41	11.50	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-11-2022	47.62	37.78	11.46	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-11-2022	49.63	36.04	11.45	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-11-2022	48.87	37.09	11.46	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-11-2022	45.30	36.98	11.46	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-11-2022	49.00	30.18	17.20	11.454	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-11-2022	51.39	38.41	9.88	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-11-2022	48.98	38.41	9.92	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-11-2022	47.25	38.41	9.91	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-11-2022	45.74	38.41	9.88	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-11-2022	47.74	36.99	9.87	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-11-2022	46.61	36.20	9.91	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-11-2022	46.92	36.51	9.91	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-11-2022	45.36	36.51	9.88	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-11-2022	45.52	34.61	9.88	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
1-2022	43.53	36.61	9.89	9.877	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	51.19	38.87	12.38	12.16	20 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of November, 2022 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 November to 10 November 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated - 01-11-2022	15.142	20 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 November to 20 November 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -11-11-2022	11.454	
From 21 November to 30 November 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -21-11-2022	9.877	


 अवतार अभियन्ता (वि.एवं यां.)
 मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी




 सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
 मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी


 अभियन्ता अभियन्ता (वि.एवं यां.)
 मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/नियंत्रण बांधों से नदी में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
 24599
 नवंबर 2022

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता विकासकर्ता तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)'	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-10-2022	129.94	66.07	64.61	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-10-2022	127.34	70.87	56.72	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-10-2022	117.07	70.87	49.91	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-10-2022	113.02	66.87	48.62	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-10-2022	111.08	60.54	48.73	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-10-2022	103.62	59.49	48.58	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-10-2022	95.02	49.51	48.56	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-10-2022	98.60	46.10	48.57	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-10-2022	91.67	43.92	49.28	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-10-2022	90.53	41.59	48.29	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-10-2022	85.46	55.39	27.95	48.559	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-10-2022	87.77	59.76	26.95	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-10-2022	88.88	60.69	27.58	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-10-2022	85.80	61.75	26.96	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-10-2022	84.88	55.50	27.07	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-10-2022	83.22	57.32	26.97	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-10-2022	82.03	54.62	27.55	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-10-2022	88.94	56.39	26.91	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-10-2022	82.49	61.76	26.94	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-10-2022	86.36	58.69	26.96	26.947	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-10-2022	85.04	63.13	22.05	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-10-2022	79.65	62.87	21.44	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-10-2022	79.72	54.78	21.57	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-10-2022	77.81	54.78	21.41	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-10-2022	75.70	54.78	21.43	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-10-2022	73.74	53.57	21.45	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-10-2022	73.46	52.25	21.40	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-10-2022	72.66	51.92	21.42	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-10-2022	71.98	50.86	21.44	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-10-2022	70.83	48.23	21.42	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
31-10-2022	72.22	48.70	21.41	21.396	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	89.24	56.57	32.91	31.95	25 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of October, 2022 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 October to 10 October 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN	48.559	25 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 October to 20 October 2022		26.947	
From 21 October to 31 October 2022		21.396	

अवर अभियन्ता (वि.एवं या.)
 मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता (वि.एवं या.)
 मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिसूची अभियन्ता (वि.एवं या.)
 मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

NOTARY
 Chaman Singh Rawat
 Distt. Uttarakashi

24600

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/बीयर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह सितम्बर वर्ष 2022

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता		तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट			
विकासकर्ता		यूजेवीएन लिमिटेड			
दिनांक	नदी का औसत विस्तारण (River Discharge) (क््यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क््यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क््यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क््यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-09-2022	261.89	51.68	211.15	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-09-2022	263.55	51.68	211.38	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-09-2022	257.31	51.68	205.63	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-09-2022	252.32	54.72	198.09	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-09-2022	236.25	55.59	178.59	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-09-2022	219.24	59.31	161.07	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-09-2022	214.91	63.71	150.06	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-09-2022	225.96	69.89	157.05	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-09-2022	239.08	65.14	170.17	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-09-2022	232.13	70.68	162.03	63.765	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-09-2022	234.84	70.68	164.16	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-09-2022	205.48	70.68	133.24	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-09-2022	192.00	70.68	121.32	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-09-2022	183.60	66.15	116.51	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-09-2022	206.61	70.68	139.03	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-09-2022	228.46	70.68	156.92	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-09-2022	259.27	69.88	191.79	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-09-2022	221.92	70.68	149.27	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-09-2022	192.62	70.92	117.09	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-09-2022	186.29	64.47	123.59	53.057	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-09-2022	208.14	70.87	137.27	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-09-2022	269.84	70.87	198.41	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-09-2022	219.98	59.12	160.62	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-09-2022	198.39	70.87	127.05	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-09-2022	222.25	70.87	151.13	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-09-2022	228.20	70.87	157.33	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-09-2022	168.11	70.87	97.48	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-09-2022	151.31	70.87	80.44	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-09-2022	142.64	70.87	71.03	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-09-2022	133.48	69.27	64.21	52.644	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	215.20	66.16	148.77	56.49	30 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of September, 2022 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 September to 10 September 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -29-08-2022	63.765	30 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 September to 20 September 2022		53.057	
From 21 September to 30 September 2022		52.644	

अवर अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

अधिष्ठाता अभियन्ता (वि.एवं यां.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वॉगिंग/टनल में प्रतिदिन छोड़े गए जल प्रवाह का विवरण
माह अगस्त वर्ष 2022

24601

7/17

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता
विकासकर्ता

तिलोथ विद्युत गृह, मनेरी बांध, 90 मेगावाट
यूजेवीएन लिमिटेड

दिनांक	नदी का औसत निस्सारण (River Discharge) (क्यूमेक)	विद्युत उत्पादन हेतु बांध से Tunnel में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Tunnel Discharge) (क्यूमेक)	बांध से नदी में छोड़ा गया औसत जल प्रवाह (Out flow Discharge) (क्यूमेक)	C.W.C. द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य (क्यूमेक)	कालम 4 के अनुसार छोड़े गए जल प्रवाह
1	2	3	4	5	6
01-08-2022	390.41	0.00	390.60	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
02-08-2022	334.14	0.00	334.16	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
03-08-2022	318.73	0.00	318.77	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
04-08-2022	322.63	0.00	317.74	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
05-08-2022	469.55	3.34	466.21	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
06-08-2022	505.14	25.84	479.30	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
07-08-2022	531.38	25.84	505.64	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
08-08-2022	513.79	25.84	487.95	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
09-08-2022	438.02	25.84	411.76	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
10-08-2022	388.05	25.84	362.53	76.650	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
11-08-2022	467.93	25.84	442.30	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
12-08-2022	373.80	25.84	348.17	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
13-08-2022	365.68	20.46	345.02	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
14-08-2022	372.60	21.53	351.17	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
15-08-2022	488.09	25.84	462.14	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
16-08-2022	393.24	25.84	367.40	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
17-08-2022	393.60	25.84	367.22	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
18-08-2022	368.51	25.84	342.56	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
19-08-2022	370.02	25.84	344.40	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
20-08-2022	428.45	25.84	402.15	76.213	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
21-08-2022	350.25	33.60	314.43	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
22-08-2022	303.11	47.34	255.67	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
23-08-2022	288.02	51.68	236.49	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
24-08-2022	289.88	40.91	248.52	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
25-08-2022	289.05	51.68	237.52	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
26-08-2022	284.68	51.68	233.15	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
27-08-2022	290.15	51.68	238.32	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
28-08-2022	281.16	51.68	228.87	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
29-08-2022	278.22	43.07	234.99	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
30-08-2022	259.70	49.53	209.34	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
31-08-2022	257.84	50.60	205.15	67.850	C.W.C.द्वारा निर्धारित e-flow लक्ष्य से अधिक
Monthly Average	367.93	29.18	338.38	73.39	30 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period

Target of E-Flow for the Month of August, 2022 as per C.W.C. in connection with GOI Gazette Notification No. D.L. -33004/99 Dated 09.10.2019

Target Duration	Reference	Daily E-flow Target	Remarks
From 1 August to 10 August 2022	C.W.C. File No. T-33053/1/2020-GD DTE - DEHRADUN Dated -30-06-2022	76.650	30 % of Monthly average flow observed during each of preceding 10 daily Period
From 11 August to 20 August 2022		76.213	
From 21 August to 31 August 2022		67.850	

Awain

अवर अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी



Awain

सहायक अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी

Awain

Awain
अधिसानी अभियन्ता (वि.एवं या.)
मनेरी बांध मनेरी उत्तरकाशी
21/11/2022
Chandan Singh Rawat
Advocate & Notary
Raipur
Distt.-Uttarakashi



Letter No. 2119 / 1

Email: gangarishikesh2017@gmail.com

Date: 12-10-2023 Through - Email/Post

To,
The District Magistrate
Uttarkashi, Uttarakhand

Subject: Regarding the copurt case Original Application No.200/2014 M.C.Melita Vs Union of
India & Others.

Reference: Letter No. 100/21/(2022-23) dated 07/10/2023

Sir,

Please please refer to the above cited letter regarding the subject matter and the instructions
given in the meeting held on 06/10/2023 the report is as follows:

Sl No.	Issue	Report
1.	Sewage From Hotels /Dharamshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas.	The record of treatment facility or contribution in pollution by Hotels \ Dharamshalas is kept by UKPCB, whereas the status regarding the facility of domestic sewage treatment is as follows.
	Uttarkashi	<p>There exists one no. STP of 2.0 MLD capacity at Gyansu in Uttarkashi which is running with its full capacity.</p> <p>An estimate costing to Rs.1687.76 Lakhs was prepared and sent to NMCG which was denied by NMCG as they do not provide funds for sewage network.</p> <p>NIUA was instructed by Hon'ble Chief secretary in the meetin held on 29/04/2022, Uttarakhand to carryout detail survey in coordination with Urban Development Directorate, of Uttarkashi to explore the feasibility of sewerage network as well as other possible sewage treatment facility and to prepare a comprehensive plan, which is still awaited.</p> <p>Meanwhile as per the instruction issued by Programme Director, SPMG vide his letter no. 673/SPMG/Namami Gange/Institutional Dev. Dated 24/08/2022, an estimate costing to Rs.29.23 Crores was prepared under Performance based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) and sent to NMCG vide letter no. 1264/PBIG/22-23 dated 14/03/2023 of Programme Director, SPMG. The DPR includes following components:</p> <p>A. Sewerage Infrastructure Works</p> <ol style="list-style-type: none">Sewerage Network – 6.33 Km: proposed in Ward No. 1 Gangori Area.Sewage Pumping Station (SPS)– 01 No. at Tekhla and 02 Nos of Mini SPS at Joshiyara.Rising Main - 100 mm diameter 0.70 Km. DI K-9 pipe; from SPS Tekhla to 1.0 MLD STP Gangori.



[Handwritten Signature]

		<p>iv. Sewage Treatment Plant (STP)- 1.00 MLD capacity STP at Gangotri and a Package type treatment plant with nature based tertiary treatment of 0.15 MLD (150KLD) at Gangotri Saugam.</p> <p>v. Interception and Diversion Works- 03 Nos; Nala Tapping & 03 Nos Gully Pits with 0.45 Km. carrier line at Joshiyara.</p> <p>vi. House Service Connection – 1792 Nos in Gangotri, Tekhala & Uttarkashi main town (where sewer network is available).</p> <p>B. Faecal Sludge management (Co-Treatment Plant)</p> <p>i. Co-Treatment Plant- A 15 KLD Capacity Co-treatment plant in Gangotri area has been proposed to provide facility for the disposal of septage from the area within about 10 km radius which is almost entire Uttarkashi town.</p> <p>ii. De-Sludging Vehicle – 02 Nos</p> <p>C. Rehabilitation of Public toilets</p> <p>i. Upgradation into Hi-tech Public Toilets – 9 Nos</p> <p>D. Studies & Technical assistance</p> <p>i. Public Awareness campaign – 01 Job</p> <p>ii. GIS Application for Mapping & Tagging of infrastructures- 01 Job</p> <p>D. Other Areas</p> <p>i. Electric Compost Machine – 01 No; capacity 500 kg/day</p> <p>ii. Electric Incinerator Machine – 02 Nos.; capacity 30 kg per batch.</p>
Gangotri		<p>There exists one no. STP of 1.0 MLD capacity, 2.30 Km sewer line of 150 mm – 300 mm dia and 03 Nos. Sewage Pumping Station in Gangotri Town.</p> <p>In compliance of instruction issued in 13th State Ganga Committee meeting & Minutes of Meeting issued by Programme Director, SPMG Dehradun vide letter no. 493/SPMG/Namami Gange/SGC. Dated 30/06/2022, an estimate costing to Rs.3.39 Crores was prepared under Namami Gange Programme to providing sewerage facility for leftout 10 households in Gangotri town and sent to NMCG vide letter no. 884/SPMG/Namami Gange/I&D and STP dated 16/11/2022 of Programme Director, SPMG. The DPR includes following components:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewage Treatment Plant – A 10 KLD capacity STP based on Electro-coagulation technology. 2. Sewer/Carrier Line – 0.15 Km; 200 mm dia. 3. 15 Years Operation & Maintenance



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 For Project Manager
 9/11/2023
 Chandan Singh Rawat
 Advocate & Notary
 Reg. 13411
 Dist. Uttarkashi, Uttarakhand



24604
उत्तराखण्ड जल संस्थान
 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड,
 निकट विकास भवन लदाड़ी, उत्तरकाशी-249193



दूरभाष नं० - 01374222200(राज्य) 01374222201(खण्ड)

ई-मेल:- eeeki-aps-uk@nic.in upsttarkashi@gmail.com

पत्रांक 1812 / जलोत्सारण योजना / 2023-24

दिनांक 09/10/2023

सेवा में,
 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आवेदन सं० -200/2014(सी०डब्ल्यू० पी० नं० 3727/1985), आई०ए० नं० -340/2022 एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के आवेदन सं० -200/2014 (सी०डब्ल्यू० पी० नं० 3727/1985), आई०ए० नं० -340/2022 एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के परिपेक्ष्य में दिनांक 06.10.2023 को आहूत बैठक में दिए गये निर्देशों एवं उल्लिखित प्रकरणों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय


 अधिशासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक तदैव
 प्रतिलिपि:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।


 अधिशासी अभियन्ता




 09/10/2023
 Chandan Singh Rawat
 Advocate & Notary
 Reg. 13411
 Distt.-Uttarkashi, Uttarakhand

UTTARAKHAND JAL SANSTHAN, UTTARKASHI

Directions as per the Hon'ble NGT in O.A. No. 200/2014

Status as on 06-10-2023

Item	Agency	Remarks
Compliance Status of directions in relation to Collection of Sewage	Jal Sansthan	(1) उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित उत्तरकाशी जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत 14.25 कि०मी० मुख्य एवं ब्रान्च सीवर लाईन बिछी हुई है। जिसमें वर्तमान तक 565 घरेलू एवं अघरेलू सीवर संयोजन, सीवर लाईन के माध्यम से जानसू उत्तरकाशी में स्थित 2.00एम०एल०डी० सीवर प्लांट से जुड़े हैं। (2) गंगोत्री जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत 2.27 कि०मी० मुख्य एवं ब्रान्च सीवर लाईन बिछी हुई है, तथा 124 घरेलू एवं अघरेलू सीवर संयोजन, सीवर लाईन के माध्यम से 1.00एम०एल०डी० क्षमता के सीवर प्लांट से जुड़े हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त Septage Management के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में Septic Tank के खाली करने का कार्य सेक्शन मशीन से किया जा रहा है।
Disposal of Sewage		वर्तमान में उपचारित सीवेज (सलज) का उपयोग वन विभाग/उद्यान विभाग/NIM एवं अन्य विभागों द्वारा बागवानी/ फुलवारी हेतु प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही स्थानीय कृषकों को खेती हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
Reuse of Sewage Treated Water		पुनः प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

नोट:—वर्तमान में नगरीय क्षेत्र के 23न० होटल सीवेज से जुड़े हैं एवं गंगा नदी से प्रभावित होने वाले 06 नाले सीवर नेटवर्क से संयोजित हैं, जिनका नियमित रखरखाव एवं संचालन किया जाना रहा है।

अधिसूची अभियन्ता



9/11/2023

Chaitan Singh Rawat
Advocate & Notary
Regd. 12411
Distt.-Uttarakhand, Uttarakhand

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट उत्तरकाशी।

पत्रांक 1147 /21-विधि/ 2023-24 दिनांक 07 नवम्बर, 2023
सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
उत्तरकाशी।

विषय:- चारधाम यात्रा के समय कूड़ा निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में आपको सादर अवगत करवाना है कि नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी द्वारा चारधाम यात्रा के समय कूड़ा निस्तारण की कार्यवाही निम्नवत की गयी है:-

1-लिंगेसी वेस्ट का निस्तारण:-नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी के द्वारा वार्ड न0-07 ताम्बाखानी सुरंग के बाहर अस्थाई रूप से वर्ष 2019 से कूड़े को एकत्रित कर कूड़ा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही किन्तु स्थान पर्याप्त न होने के कारण सम्पूर्ण कूड़ा सेग्रीगेशन/निस्तारण नहीं किया जा सका। जिस कारण सम्बन्धित स्थल पर काफी मात्रा में लिंगेसी वेस्ट एकत्रित हो गया था। जिस पर पालिका द्वारा वार्ड न0-07 में स्थित ताम्बाखानी से विगत 06 वर्षों से एकत्रित लिंगेसी वेस्ट में से 5,552.60 मी0ट0 लिंगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में भी लगभग 1500 मी0ट0 लिंगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु अवशेष है।

2- पालिका द्वारा वर्ष 2023-24 किये गये चालनों का विवरण:-

क्र0स0	वर्ष 2023-24	चालानों से प्राप्त आय
01	पालिका द्वारा वर्ष 2023-24 में पॉलीथीन उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेकनें एवं धूकने पर 115 चालान किये गये है।	63,150.00

3-यात्राकाल के समय पालिका द्वारा 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी यात्राकाल हेतु तैनात किये जाते हैं जिनसे दिन एवं रात्रीकालीन शिफ्ट में मुख्य चौराहों पर सफाई करवायी जाती है महोदय पालिका क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन 08 से 10 टन कूड़ा उत्पन्न होता है जो कि चारधाम यात्रा में लगभग 12 से 14 टन प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसका पालिका द्वारा सेग्रीगेशन कर निस्तारण किया जाता है।

4- शहरी क्षेत्र में चारधाम यात्रा के दौरान दुकानों एवं होटलों से रात में भी डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाता है।
अतः महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बाड़ाहाट-उत्तरकाशी।




9/11/2023
District Collector, Uttarakashi

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2545(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का.आ. 3187(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

- | | | |
|-------|---|-------------------|
| (i) | जिलाधिकारी, उत्तरकाशी | - अध्यक्ष ; |
| (ii) | अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी | - सदस्य; |
| (iii) | अधिशाली अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी | - सदस्य; |
| (iv) | अधिशाली अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तरकाशी | - सदस्य; |
| (v) | परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तरकाशी | - सदस्य; |
| (vi) | सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून | - सदस्य; |
| (vii) | प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी | - सदस्य व संयोजक. |

ख. नामित सदस्यगण :

- | | | |
|-------|---|----------|
| (i) | अधिशाली अभियंता, गंगा प्रदूषण इकाई, उत्तरकाशी | - सदस्य; |
| (ii) | अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी | - सदस्य; |
| (iii) | अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौर | - सदस्य; |
| (iv) | श्री हरीश सेमवाल, गंगोत्री मंदिर समिति | - सदस्य; |
| (v) | सुश्री शांति ठाकुर (ग्लेसियर लेडी), पर्यावरणविद | - सदस्य; |
| (vi) | मेजर राजेंद्र सिंह जमनाल, होटल इंडस्ट्रीज एसोशिएशन, उत्तरकाशी | - सदस्य. |

- नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन



24608
ORDER

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Uttarkashi of the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

- | | |
|--|---------------------------|
| (a) District Collector, Uttarkashi | - Chairperson; |
| (b) Executive Engineer, Public Works Department, Uttarkashi | - Member; |
| (c) Executive Engineer, Irrigation Department, Uttarkashi | - Member; |
| (d) Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Uttarkashi | - Member; |
| (e) Project Manager, Swajal Project, Uttarkashi | - Member; |
| (f) Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand
Environment Protection & Pollution Control Board, Dehradun | - Member and
Convenor. |
| (g) Divisional Forest Officer, Uttarkashi | |

B. Nominated Members:

- | | |
|---|-----------|
| (a) Executive Engineer, Ganga Pollution Unit, Uttarkashi | - Member; |
| (b) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Uttarkashi | - Member; |
| (c) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Chinyalisaur | - Member; |
| (d) Mr. Harish Semwal, Gangotri Mandir Samiti | - Member; |
| (e) Smt. Shanti Thakur (Glacier Lady), Environmentalist | - Member. |
| (f) Major Rajendra Singh Jamnal, Hotel Industries Association, Uttarkashi | |

- The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette.
- The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

क्र.अ. 2546(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का.आ. 3187(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा बिहार राज्य के जिला बक्सर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :



संख्या- 29 / नमामि गंगे / 2017-18
कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

दिनांक 11 मई, 2017

कार्यालय आदेश

कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन गुप, नमामि गंगे कार्यक्रम, देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्रांक 475/SPMG/NGRBA/S.G.C./18 दिनांक 18 अप्रैल 2017 तथा अपर सचिव एवं महानिदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. Estt.-01/2016-17/111/ NMCG(Vol-II) दिनांक 03 मई 2017 के क्रम में जनपद उत्तरकाशी हेतु जिला गंगा संरक्षण समिति, गठित की जाती है।

क्र०सं०	अधिकारी का पद	अधिकारी का नाम	जिला गंगा संरक्षण समिति में पद
(ए)	जिलाधिकारी		जिला गंगा संरक्षण समिति में पद
(बी)	(1) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका उत्तरकाशी। (2) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चिन्यालीसौड	डा० आशीष कुमार श्रीवास्तव श्री सुनील कुमार कुरील श्री सुनील कुमार कुरील	पदेन अध्यक्ष सदस्य
(सी)	(1) अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी। (2) अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग उत्तरकाशी। (3) अधिशासी अभियन्ता, उ०पे०सं० उत्तरकाशी। (4) परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, उत्तरकाशी।	श्री अशोक कुमार चौहान श्री पी०के० पवार श्री विरेन्द्र सिंह वर्मा इं० राकेश दत्त जखमोला	पदेन सदस्य
(डी)	(1) गंगोत्री मन्दिर समिति (2) पर्यावरणविद्	श्री हरीश सेमवाल, श्रीमती शान्ति ठाकुर (ग्लेशियर लेडी)	सदस्य
(ई)	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।	श्री संदीप कुमार	पदेन सदस्य
(एफ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी	श्री सुरेश पाल, अधिशासी अभियन्ता, गंगा प्रदूषण इकाई, उत्तरकाशी।	सदस्य

यह आदेश, भारत सरकार की गजट अधिसूचना संख्या 2458 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के क्रम में अधिसूचित किया गया है।



जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:-

- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन गुप, नमामि गंगे कार्यक्रम, देहरादून, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
समस्त, सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।




जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।



कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक: 475 /SPMG/NGBA/S.G.C./18

दिनांक: 18.04.2017

सेवा में,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद स्तरीय जिला गंगा संरक्षण समिति के गठन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की गजट अधिसूचना संख्या 2458 दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के द्वारा केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों के गठन प्रस्तावित किया गया था:-

क्र०सं०	स्तर	प्राधिकरण का नाम	संदर्भ	अध्यक्ष
1	केन्द्र	राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council)	अधिसूचना का पैरा सं०-11 एवं 12	प्रधानमंत्री
		अधिकार प्राप्त कार्यबल (Empowered Task Force)	अधिसूचना का पैरा सं०-17	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री
		राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga)	अधिसूचना का पैरा सं०-31 से 39	महानिदेशक
2	राज्य	राज्य गंगा संरक्षण प्रबन्धन समिति (State Ganga Committee)	अधिसूचना का पैरा सं०-20 से 24	मुख्य सचिव, राज्य सरकार
	जिला	जिला गंगा संरक्षण समिति (District Ganga Committee)	अधिसूचना का पैरा सं०-53 से 59	जिला कलेक्टर

उक्त क्रम में इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्रांक 146/एस.पी.एम.जी./नमामि गंगे/02 दि० 31.01.2017 द्वारा गजट अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 संलग्न करते हुए प्रस्तावित जिला गंगा समिति के गठन का प्रस्ताव आपके संज्ञान में लाया गया था।

...क्रमशः 2

पता: 117, इन्दिरा नगर, देहरादून

कार्यालय: 0135-2769932/2763436; फ़ैक्स नं० 0135-2763434

ई-मेल: spmgngrba.utk01@gmail.com

6671

26-4202

उक्त गजट अधिसूचना में से प्रस्तावित जिला गंगा समिति की संरचना निम्नानुरार उद्धृत की जा रही है:-

क्र०सं०	समिति की संरचना का विवरण	
(ए)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष पदेन
(बी)	विनिर्दिष्ट जिले की नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम दो प्रतिनिधि	सदस्य
(सी)	राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले में कार्यरत लोक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पेयजल विभाग, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य, पदेन
(डी)	विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नामित गंगा संरक्षण कार्यकलापों से संबद्ध दो पर्यावरणविद और स्थानीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ई)	विनिर्दिष्ट जिले का एक डिविजनल वन अधिकारी	सदस्य, पदेन
(एफ)	एक जनपद स्तरीय अधिकारी जिसे जिला कलेक्टर नामित करे	सदस्य


क्र०सं० 'बी' पर राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों हेतु सचिव, पेयजल से अनुरोध किया जा रहा है एवं क्र०सं० 'सी' पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को जिला गंगा समिति में नामित किये जाने हेतु पृथक से पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

जिला गंगा समिति के गठन कार्य एवं शक्तियों सहित गजट अधिसूचना में उल्लिखित पैरा सं० 53 से 59 का सम्पूर्ण विवरण भी संलग्न किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि जिला गंगा समिति के शेष नामांकन के प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार


भवदीय,


(डा० राघव लिंगर)
कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपि:-

सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम निदेशक



दिनांक 11.11.2022 को जिलाधिकारी गहोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
उपरिस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठकों में दिये गये निर्देशों एवं मा० एन०जी०पी० द्वारा O.A. 200/2014, O.A. 10/2015 में पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि गंगोत्री में अवशेष 10 हाउस होल्ड परिवारों को एस०टी०पी० से जोड़ने के लिए एस०टी०पी० के कार्यों हेतु रुपये 339.06 लाख की डी०पी०आर० तैयार की गई है, जिसका प्रस्ताव एस०पी०एम०जी० (SPMG) को प्रेषित किया गया है, जिसे एन०एम०सी०जी० (NMCG) को प्रेषित किया जाना है।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार/ सहा० अमि०, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश)

(2) इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया, कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ऐसे नाले, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों को प्रभावित कर रहे हैं, का सर्वेक्षण किया जाना है तथा साथ ही होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों आदि में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) मानकों का अनुश्रवण किया जा रहा है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सर्वे कर जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इसके सम्बन्ध में कमेटी एक डेटा बेस बना ले, तथा गठित कमेटी उक्त के सम्बन्ध में शीघ्र अपने अन्तिम सुझाव दें। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया, उक्त कार्य हेतु सप्ताह के 05 दिन जनपद मुख्यालय, उत्तरकाशी में उपस्थित रहें तथा जिला गंगा समिति की बैठकों में भी प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें

(उपरोक्त गठित समिति के सदस्य)

(3) अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक-488/SPMG/Namamigange/RFD दिनांक 29.06.2022 के क्रम में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत Development of Maneri Bathing & Cremation Ghat, Bank Protection Work in Uttarkashi at Bhatwari near Saraswati School in Uttarakhand के निर्माण कार्य हेतु 713.47 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी तथा एन.एम.सी.जी द्वारा निर्माण कार्य की अवधि भी निर्धारित की गई थी। इस सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि घाट एवं शवदाह गृह का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।)

(4) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है, कि सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन नियमित दो पालियों में सफाई कार्य किया जाता है, जिसको डेकार्ड से एकत्रित कर बड़े कूड़ेदानों में डाल जाता है, जिसको हाइड्रोलिक ट्रक के माध्यम से कोल निस्तारण स्थल में ले जाकर निस्तारित किया जाता है। पालिका के पास सफाई हेतु 01 वाटर प्रेशर व डोर-टू-डोर संग्रह हेतु 04 मेक्सिमो टेम्पो वाहन, 01 हाइड्रोलिक वाहन उपलब्ध

.....2

[Handwritten Signature]



है। पालिका द्वारा जीरो वेस्ट फर्म को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु टेण्डर के माध्यम से (सेरीगेशन, डोर-टू-डोर कूड़ा एक्त्रीकरण, कम्पोस्टिंग) का कार्य दिया गया है, जिनके द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कूड़ा एक्त्रीकरण, सेरीगेशन व कम्पोस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्मोकोल के भण्डारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा उपयोग करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है।

नगर पालिका को निर्देशित किया गया, कि जनपद अन्तर्गत एस0टी0पी0 मानकों का अनुश्रवण किया जा रहा है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सर्वे कर उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से अगली बैठक में सूचना दें।

(कार्यवाही नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी)

(5) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगात्री एवं उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया है, कि उक्त के सम्बन्ध में गठित समिति से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र नालों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0 निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम उत्तरकाशी)

(6) इसके अतिरिक्त दिनांक 24 से 26 नवम्बर, 2022 को जनपद उत्तरकाशी में 03 दिवसीय विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में समीक्षा की गई तथा जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया, कि उक्त आयोजन में किये जाने वाले इवेंट के सम्बन्ध में एक वाट्सऐप ग्रुप बना ले तथा ग्रुप में अपने सुझाव दें। उक्त आयोजन की गतिविधियों के सम्बन्ध में दिनांक 16.11.2022 को जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में रेडकॉस, नेहरू युवा केन्द्र, व्यापार मण्डल, खेल तथा गंगा मंदिर समिति के सदस्यगण भी उपस्थित रहेगें।

(जिला गंगा समिति के सदस्य)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



[Handwritten Signature]

(पुनीत तोमर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

.....3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 1356 /3-3

(2021-22)

दिनांक 16 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नगाभि मंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2- जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

3-जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

4-जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

5-उपरोक्त सम्बन्धित विभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य सचिव

2-जिलागंगा समिति, उत्तरकाशी।



दिनांक 09.12.2022 को 24615 महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठको में दिये गये निर्देशों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा O.A. 200/2014, O.A. 10/2015 में पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में 4.00 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एग0एल0डी0 एस0टी0पी0 Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर एस0पी0एम0जी0 (SPMG) को प्रेषित किया गया है, जो एन0एम0सी0जी0 (NMCG) को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार/ सहा0 अभि0, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश)

(2) इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया, कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ऐसे नाले, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों को प्रभावित कर रहे हैं, का सर्वेक्षण किया जाना है तथा साथ ही होटल/धर्मशालाओं/आश्रमों आदि में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) मानकों का अनुश्रवण किया जा रहा है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सर्वे कर जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इसके सम्बन्ध में कमेटी द्वारा कराया गया, कि उक्त सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो इसी माह दिसम्बर, 2022 में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(उपरोक्त गठित समिति के सदस्य)

(3) अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबन्धक गुप नमामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक-488/SPMG/Namamigange/RFD दिनांक 29.06.2022 के क्रम में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत Development of Maneri Bathing & Cremation Ghat, Bank Protection Work in Uttarkashi at Bhatwari near Saraswati School in Uttarakhand के निर्माण कार्य हेतु 713.47 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी तथा एन.एम.सी.जी द्वारा निर्माण कार्य की अवधि भी निर्धारित की गई थी। इस सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि घाट एवं शवदाह गृह का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर है, जिनकी प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी)

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है, कि ऋषिकेश नगर निगम कार्यालय में दिनांक 27.08.2022 को हुई बैठक में Performance based Incentive Grant (PBI) for urban Local Bodies under the Second National Ganga River



[Signature]

Basin Project (SNGRBP) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, वाडहाट, उत्तरकाशी जं
प्रस्तावित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर तैयार करते हुए एस0पी0एम0जी0 (SPMG) का प्रेषित
किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन
नियमित दो पालियों में सफाई कार्य किया जाता है, जिसको डेलियों से एकत्रित कर बड़
कूड़ेदानों में डाल जाता है, जिसको हाइड्रोलिक ट्रक के माध्यम से कूड़ा निस्तारण स्थल में ले
जाकर निस्तारित किया जाता है। पालिका के पास सफाई हेतु 01 वॉटर प्रेशर व डोर-टू-डोर
संग्रह हेतु 04 मेक्सिमम टेम्पो वाहन, 01 हाइड्रोलिक वाहन उपलब्ध है। पालिका द्वारा जीरा
वेस्ट फर्ग को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु टेण्डर के माध्यम से (सेग्रीगेशन, डोर-टू-डोर कूड़ा
एकत्रीकरण, कम्पोस्टिंग) का कार्य दिया गया है, जिनके द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर
कूड़ा एकत्रीकरण, सेग्रीगेशन व कम्पोस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
पालिका द्वारा पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल के भण्डारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा
उपयोग करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी)

(5) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री एवं
उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका
मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित
किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर
नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में
सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया है, कि उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यों की
विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0 निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम
उत्तरकाशी)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है,
कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर
वैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



(पुनीत तोमर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

(2021-22)

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहसदून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
- 3-श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- 4-उपरोक्त सम्बन्धित विभाग।

(Signature)

प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

दिनांक 09.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला मंगा समिति की आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मो.नं०
1	So			
2				
3	Puneet Tomar	DPO Utharkashi	P. T.	8909461539
4				
5				
6				
7				
8	Dr. Bhagrat Dhandiyal	CVO UK	[Signature]	8979445272
9	Vijay Singh	DPO, NPK	[Signature]	8057931397
10				
11	Surendhara	A.E.	[Signature]	8909879014
12	अश्विनी - अश्विन	इ.ओ. ए.ओ. का. प्र. - अश्विन	[Signature]	9411734728
13	Ravindra Singh Bagrai	E.O. MR Gangotri	[Signature]	9017443609
14	विनय का. प्र. अश्विन	ए.ओ. ए.ओ. का. प्र. अश्विन	[Signature]	9412912773
15	Kusum Sam	S.I. (N.P. Ansohat)	[Signature]	9760218456
16	Naresh Sharma	DEO (M)	[Signature]	7217574493
17	Suman Singh Bhandari	A.E. Jaljala	[Signature]	9411185954
18	Navdeep Singh	(T.I) N.P.P. Chinguljawa	[Signature]	9456358534
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



[Signature]

दिनांक 13.01.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा O.A. 200/2014, O.A. 10/2015 में पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में 4.00 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 09.11.2022 को एस0पी0एम0जी, देहरादून को प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार/ सहा0 अभि0, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश)

(2) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश व अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ऐसे नाले, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों को प्रभावित कर रहे हैं, का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख आगामी बैठक में पृथक से प्रस्तुत करेंगे। गठित टीम द्वारा संलग्न निरीक्षण आख्या के अनुसार कार्यवाही करेंगे तथा जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत नालों की टेपिंग करने हेतु राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए एस0टी0पी0 हेतु भूमि चयन की कार्यवाही करेंगे, जिससे कि एस0टी0पी0 निर्माण हेतु डी0पी0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(उपरोक्त गठित समिति के सदस्य/उप जिलाधिकारी भटवाडी)

(3) गंगा बेसिन के पास खेतों में वाहय रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को वहाने के कारण गंगा नदी गम्भीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहें, उनको शीघ्र नोटिस जारी करें।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

(4) अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबन्धक गुप नमामि गंगे देहरादून उत्तराखण्ड के पत्राक-488/SPMIG Namamigange RFD दिनांक 29.06.2022 के क्रम में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत Development of Maneri Bathing & Cremation Ghat, Bank Protection Work in Uttarakashi at Bhatwari near Saraswati School in Uttarakhand के निर्माण कार्य हेतु 713.47 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी तथा एन.एम.सी.जी द्वारा निर्माण कार्य को अग्रिम में मिथीरत की गई थी। इस सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा बाउ सुव्यवस्था का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।)



[Signature]

(5) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है, कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल के भण्डारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उक्त के उपयोग करते पाये जाने पर पालिका द्वारा रु. 5,000/- अर्थदण्ड वसूला जाता है। खुले में कूड़ा फेंकने पर समय-समय पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। पालिका द्वारा सफाई अभियान चलाकर स्थानीय लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। पालिका द्वारा डोर-टू-डोर कलेक्शन/सैरीगेशन को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु 03 नये कूड़ा वाहन कय किये गये हैं। नगर क्षेत्रान्तर्गत व्यापारियों द्वारा गंदगी करने पर 02 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त विकास भवन के आरा-पारा एवं शहर के अन्य स्थानों पर स्थित जिला पंचायत के डस्टबीन, जिसमें उनके द्वारा नियमित सफाई नहीं की जा रही है, उन डस्टबीन को शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी)

(6) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री एव उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्वन्ध में सम्वन्धित विभाग को निर्देशित किया गया है, कि उक्त के सम्वन्ध में सम्वन्धित कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0 निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम उत्तरकाशी)

अन्त में उपरिथत जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या-1889 /3-3 (2021-22) दिनांक 25 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

3-श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

4-उपरोक्त सम्वन्धित विभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।



दिनांक 13.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मो० नं०
1				
2	Puneet Tomar	DPO Uki	[Signature]	8909461539
3	Dr. Vinash Kumar Kalaniya	Voluntary official	[Signature]	8958998089
4	Surananda	A.E. TII JDUITERIKASHI	[Signature]	8909879074
5	P. N. Nautilya - C.D.S.	Swarnajal Projector	UKI. [Signature]	9756707565
6	Uttam Kumar	DPO NIK, Uttar Kashi	[Signature]	9756475470
7	Birendra Kumar	So. NPP Chinyalison	[Signature]	941145838
8	Kusum Ram	E.O. N.P. Gangotri	[Signature]	9760218436
9	मि० ए० सी० ए०	युवा समिति	[Signature]	9456719750
10	वि० शंकर कुमार	DPO NPPB, Uttar Kashi	[Signature]	9997429132
11	वि० ए०	मि० ए०	[Signature]	8191906116
12	C. P. SURAL	D.P.R. P. Pandey, Uki	[Signature]	9979362325
13	Kumar Karthik	U.V.V.N. Lt. (N.P.)	[Signature]	9634801203
14	Subarnam Ram	C.C.		7579052405
15	Mohd. Misam	CG. P. P. J. Uki	[Signature]	9411535937
16	S. S. Bhanda	A.E. JALWAN MAN	[Signature]	9411859574
17	Revindra Singh	DPO P. P. J. Uki	[Signature]	8077710240
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



[Signature]

दिनांक 10.02.2023 को जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठको में दिये गये निर्देशों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा O.A. 200/2014, O.A. 10/2015 में पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में 4.00 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में रु. 28.68 करोड एन0एम0सी0जी0 द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी डी0पी0आर0 फरवरी, 2023 तक एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 09. 11.2022 को एस0पी0एम0जी, देहरादून को प्रेषित किया गया है, जिसे एस0पी0एम0जी, देहरादून द्वारा प्राक्कलन एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड मध्ये रु. 0.60 करोड सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है। (कार्यवाही सहा0 अभि0, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

(2) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश व अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ऐसे नाले, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों को प्रभावित कर रहे हैं, का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख आगामी बैठक में पृथक से प्रस्तुत करेंगे। गठित टीम द्वारा संलग्न निरीक्षण आख्या के अनुसार कार्यवाही करेंगे तथा जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत नालों की टेपिंग करने हेतु राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए एस0टी0पी0 हेतु भूमि चयन हेतु स्थान जोशियाडा पटवारी चौकी व रॉपिंग केन्द्र के निकट भूमि चयन हेतु सर्वे की कार्यवाही गतिमान है, जिससे कि एस0टी0पी0 निर्माण हेतु डी0पी0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि उक्त स्थान का सर्वे कर रिपोर्ट जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी भटवाडी)

गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण नोटिसों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को बहाने के कारण गंगा नदी गम्भीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक कारखानों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को नालों में प्रभावित कर रहे, उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

.....2



[Handwritten Signature]

(4) अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम निदेशक राज्य परियोजना प्रबंधक पुप नमामि गंगे सहारादून उत्तरखण्ड के पत्रांक-488 / SPMG /Namamigange/RFD दिनांक 29.06.2022 के क्रम में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत Development of Maneri Bathing & Cremation Ghat, Bank Protection Work in Uttarkashi at Bhatwari near Saraswati School in Uttarakhand के निर्माण कार्य हेतु 713.67 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी तथा एन.एम.सी.जी द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति की निर्धारित की गई थी। इस सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि घाट एवं शवदाह गृह का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा बाढ़ सुरक्षात्मक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।)

(5) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है, कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्मोकोल के भण्डारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उक्त के उपयोग करते पाये जाने पर पालिका द्वारा रु. 5,000/- अर्थदण्ड वसूला जाता है। खुले में कूड़ा फेंकने पर समय-समय पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। पालिका द्वारा सफाई अभियान चलाकर स्थानीय लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। पालिका द्वारा डोर-टू-डोर कलेक्शन/सैग्रीगेशन को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु 03 नये कूड़ा वाहन क्रय किये गये हैं। नगर क्षेत्रान्तर्गत व्यापारियों द्वारा गंदगी करने पर 02 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त विकास भवन के आस-पास एवं शहर के अन्य स्थानों पर स्थित जिला पंचायत के डस्टबीन, जिसमें उनके द्वारा नियमित सफाई नहीं की जा रही है, उन डस्टबीन को शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। नगर पालिका, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि 03 नये वाहन जो, कूड़ा एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण का कार्य नगर पालिका क्षेत्र में कर रहे हैं, उनमें कूड़ा पृथक-पृथक रूप से एकत्रित किया जा रहा है, जिसके सम्वन्ध में नगर क्षेत्र में कूड़ा पृथकीकरण व एकत्रीकरण के सम्वन्ध में औचक निरीक्षण किसी भी समय मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी)

(6) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री एवं उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्वन्ध में सम्वन्धित विभाग को निर्देशित किया गया है, कि उक्त के सम्वन्ध में सम्वन्धित कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0 निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता, उत्तरखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देशित किया कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शौचालय पिटों से उपलब्ध होने वाली खाद उद्यान, कृषि व पौधों को प्रत्येक माह उपलब्ध करवायी जाय, जिस हेतु उक्त विभागों के साथ सम्वन्धित विभागों को प्रत्येक माह जो खाद उठायी जायेगी उसका विवरण जिला गंगा समिति को प्रत्येक माह होने वाली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा इस हेतु न्यूनतम शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग)



[Handwritten Signature]

(8) जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी व संयोजक नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी व जिला गंगा समिति के अन्य सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया, कि उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्बन्ध में विरतृत आख्या तिथिवार जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराना सुशिक्षित करेंगे।

(कार्यवाही मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/संयोजक नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी एवं समस्त सदस्य जिला गंगा समिति)

अन्त में उपरिथत जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

- कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
संख्या- 2177 /3-3 (2021-22) दिनांक 21 फरवरी, 2023
- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक गुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
 - 3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
 - 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव/
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
नमामि गंगा समिति, उत्तरकाशी



(Signature)

दिनांक 10.03.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई डी0जी0सी0 की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठको में दिये गये निर्देशों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा O.A. 200/2014, O.A. 10/2015 में पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में 4.00 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में रु. 28.68 करोड एन0एम0सी0जी0 द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 16.11.2022 को एस0पी0एम0जी, देहरादून को प्रेषित किया गया है, जिसे एस0पी0एम0जी, देहरादून द्वारा प्राक्कलन एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, वाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड मध्ये रु. 0.60 करोड सार्वजनिक शांचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

(कार्यवाही परि0प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

(2) अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत एस0टी0पी0 हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है, साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश के पत्रांक-275/गं0कार्य/02 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, जोशियाडा उत्तरकाशी को भूमि चयन हस्तान्तरण की कार्यवाही तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु अवगत कराया गया है।

(कार्यवाही अधि0 अभि0 जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि0अभि0 जल विद्युत निगम लि0, जोशियाडा/परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

(3) गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को बहाने के कारण गंगा नदी गंभीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहे को चिन्हित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधि0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि0अधि0, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)



[Handwritten Signature]

24625

(4) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है, कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन लगभग 10 टन कूड़ा उत्पन्न होता है, जिसमें गीला कूड़ा 06 टन तथा सूखा कूड़ा 04 टन होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य जीरो वेस्ट फर्म के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत डोर-टू-डोर कलेक्शन/सैग्रीगेशन, कम्पोस्टिंग, कॉम्पेक्ट का कार्य किया जाता है। प्रत्येक दिन डोर-टू-डोर कलेक्शन के बाद कूड़ा एकत्रीकरण स्थल पर ट्रामल कन्वेयर मशीन द्वारा कूड़े की छंटाई का कार्य किया जाता है व अजैविक कूड़े यथा-प्लास्टिक, रबर, कांच, टिन, गत्ता आदि की छंटाई के उपरान्त प्लास्टिक कूड़े को कॉम्पेक्टर मशीन द्वारा कॉम्पेक्ट कर सिलिलियां विक्रय किया जाता है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद बाडाहाट में 68 पर्यावरण मित्र हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन दो पालियों में नगर क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, गलियों, नाली/नालों आदि की नियमित रूप से सफाई की जाती है। नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उत्तरकाशी के पास ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 02 हाईड्रोलिक ट्रक, 07 डोर-टू-डोर कलेक्शन टेम्पो, 01 वाटर प्रेशर मशीन उपलब्ध हैं तथा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 12 कम्पोस्ट पिट्स बने हैं। नगर पालिका बाडाहाट क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश शौचालयों में पानी की व्यवस्था सुचारु नहीं है। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शहर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु समय-समय पर चालानी कार्यवाही की जाती है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक एंटी लिटरिंग एण्ड एंटी स्पिटिंग एक्ट के तथा पॉलीथीन उपयोग करने पर 121 चालानी कार्यवाही के तहत रु. 2,49,900/- अर्धदण्ड वसूली की गई।

इसके अतिरिक्त विकास भवन के आस-पास एवं शहर के अन्य स्थानों पर स्थित जिला पंचायत के डस्टबीन, जिसमें उनके द्वारा नियमित सफाई नहीं की जा रही है, उन डस्टबीन को शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। नगर पालिका, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि 03 नये वाहन जो, कूड़ा एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण का कार्य नगर पालिका क्षेत्र में कर रहे हैं, उनमें कूड़ा पृथक-पृथक रूप से एकत्रित किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में नगर क्षेत्र में कूड़ा पृथकीकरण व एकत्रीकरण के सम्बन्ध में औचक निरीक्षण किसी भी समय मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी)

(5) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री एवं उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में अधि0अभि0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है, कि नगर क्षेत्रान्तर्गत 06 नाले टैप किये गये हैं एवं शेष नालों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा की जानी है।

(कार्यवाही अधि0 अभि0 जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, ऋषिकेश)

(6) अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शौचालय पिटों से उपलब्ध होने वाली खाद



[Signature]

उद्यान, कृषि व वन विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध करवाये जाने हेतु उक्त विभागों के साथ एम0ओ0यू0 कार्यवाही गतिमान है तथा वन विभाग, धरारू, उत्तरकाशी को खाद उपलब्ध करायी गई। प्रत्येक माह जो खाद उठायी जायेगी उसका विवरण जिला गंगा समिति की प्रत्येक माह होने वाली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा इस हेतु न्यूनतम शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग)

(7) जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी व संयोजक नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी व जिला गंगा समिति के अन्य सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया, कि उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्वन्ध में विस्तृत आख्या तिथिवार जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/संयोजक नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी एवं समस्त सदस्य जिला गंगा समिति)

अन्त में उपरिथत जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 2463/3-3

(2021-22)

दिनांक 16 मार्च, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- 4- उपरोक्त सम्वन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव, वनाधिकारी/
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी एवं
नमामि गंगा समिति उत्तरकाशी

दिनांक 10.03.2023 को जिला गंगा समिति व पर्यवेक्षी समिति से सम्बन्धित समीक्षा किये जाने हेतु आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र० सं०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मो०न०
1				
2				
3				
4				9720771898
5	Deepesh Chaudhary	Manager, D.T.C		8938954950
6	G.D. Pansari	Dy. Director, Mining		9758116393
7	Suman Lamba	DRD		9412095718
8	Suresh Singh	Asst Pro, Swajal		7217574493
9	Naresh Sharma	A.E.O (M)		9760218456
10	Kusum Jena	E.O. (N.P. Gramotisi)		2412923723
11	L.S. Kumar	A.E. Tal. Sansthan		8909808040
12	Anant B. Gairola	AE, UJVNL		741207008
13	V.C. Rana	DRD D.D. UKI		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



[Handwritten Signature]

दिनांक 15.04.2023 को प्रभाग प्रमुख/अधीनकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (डी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपरिस्थिति- संलग्न।

:-कार्यवृत्त:-

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठकों में दिये गये निर्देशों एवं गा० एन०जी०टी० द्वारा O.A. 200/2014, O.A. 10/2015 में पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में 4.00 कि०मी० सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम०एल०डी० एस०टी०पी० Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में रु. 28.68 करोड़ एन०एम०सी०जी० द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (मु०), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 16.11.2022 को एस०पी०एम०जी०, देहरादून को प्रेषित किया गया है, जिसे एस०पी०एम०जी०, देहरादून द्वारा विस्तृत प्राक्कलन एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड़ मध्ये रु. 0.60 करोड़ सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड़ अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड़ इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर कार्यक्रम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, नमामि गंगे देहरादून को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
 (कार्यवाही परि०प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

(2) अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत एस०टी०पी० हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है, साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश के पत्रांक-275/गं०कार्य/02 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०, जोशियाडा उत्तरकाशी को भूमि चयन हस्तान्तरण की कार्यवाही तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु दिनांक 20.02.2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कार्यालयाध्यक्ष को और सं सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सम्वन्ध में सम्वन्धित विभाग को निर्देशित किया गया, कि वह इस कार्य में विलम्ब न करें।
 (कार्यवाही अधि० अनि० जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि०अनि० जल विद्युत निगम लि०, जोशियाडा/परि० प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/उप जिलाधिकारी मटवाडी)

(3) गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव नारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को यहाँ के कारण गंगा नदी खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास निम्न रसायनिक



[Handwritten Signature]

गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रवाहित कर रहे को विनियमित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा नोटिस जारी कर चालानी जारी की गई है।

(कार्यवाही अधि0अधि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि0अधि0, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

(4) अधिशारी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पालिका क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन लगभग 10 टन कूड़ा उत्पन्न होता है, जिसमें गीला कूड़ा 06 टन तथा सूखा कूड़ा 04 टन होता है। जल अपशिष्ट प्रवन्धन का कार्य जीव वस्त्र फर्म के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत डोर-टू-डोर कलेक्शन/सैमीगेशन, कम्पोस्टिंग, कॉम्पेक्ट का कार्य किया जाता है। प्रत्येक दिन डोर-टू-डोर कलेक्शन के बाद कूड़ा एकत्रीकरण स्थल पर ट्रामल कन्वेयर मशीन द्वारा कूड़े की छंटाई का कार्य किया जाता है व अजैविक कूड़े यथा-प्लास्टिक, स्वर, कांच, टिन, गत्ता आदि की छंटाई के उपरान्त प्लास्टिक कूड़े को कॉम्पेक्टर मशीन द्वारा कॉम्पेक्ट कर शिल्लियां विक्रय किया जाता है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद बाडाहाट में 68 पर्यावरण मित्र है, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन का पालियों में नगर क्षेत्रान्तर्गत सडकों, गलियों, नाली/नालों आदि की नियमित रूप से सफाई की जाती है। नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उत्तरकाशी के पास ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन हेतु 02 हार्डड्रोलिक ट्रक, 07 डोर-टू-डोर कलेक्शन टेम्पों, 01 वाटर प्रेशर मशीन उपलब्ध है तथा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 12 कम्पोस्ट पिट्स बने हैं। नगर पालिका बाडाहाट क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश शौचालयों में पानी की व्यवस्था सुचारु नहीं है। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत राइर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु समय-समय पर चालानी कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त विकास भवन के आस-पास एवं शहर के अन्य स्थानों पर स्थित जिला पंचायत के डस्टबीन, जिसमें उनके द्वारा नियमित सफाई नहीं की जा रही है, उन डस्टबीन को शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। नगर पालिका, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि 03 नये वाहन जो, कूड़ा एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण का कार्य नगर पालिका क्षेत्र में कर रहे हैं, उनमें कूड़ा पृथक-पृथक रूप से एकत्रित किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में नगर क्षेत्र में कूड़ा पृथकीकरण व एकत्रीकरण के सम्बन्ध में औचक निरीक्षण किसी भी समय मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में प्रतिभाग न किये जाने पर सदस्य सचिव एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उत्तरकाशी द्वारा खेद प्रकट किया गया है तथा निर्देशित किया गया, कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी जिला गंगा समिति की आगामी बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अगल में लायी जायेगी।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी)

(5) अधिशारी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री एवं उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशारी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में



Dubey

24630

अधि०अग्नि०, उत्तराखण्ड जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है, कि नगर क्षेत्रान्तर्गत 06 नाले टेप किये गये हैं एवं शेष नालों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिरा पर अग्रिम कार्यवाही निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा की जानी है।

(कार्यवाही अधि० अग्नि० जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि० प्र०, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम ऋषिकेश)

(6) अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शौचालय पिटों से उपलब्ध होने वाली खाद उद्यान, कृषि व वन विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध करवाये जाने हेतु उक्त विभागों के साथ एम०ओ०यू० कार्यवाही गतिमान है तथा वन विभाग, धरारू, उत्तरकाशी को खाद उपलब्ध करायी गई। प्रत्येक माह जो खाद उठायी जायेगी उसका विवरण जिला गंगा समिति की प्रत्येक माह होने वाली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा इस हेतु न्यूनतम शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि कूड़ा छंटनी का कार्य गतिमान है, जिसके पश्चात उक्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उ०का०)

(7) जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी व जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी व जिला गंगा समिति के अन्य सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया, कि उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या तिथिवार जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया, कि दिनांक 30 मार्च, 2023 को आयोजित किये गये "गंगा स्वच्छता पखवाडा" कार्यक्रम के दौरान भी नगर क्षेत्रान्तर्गत साफ-सफाई अभियान चलाया गया।

इस सम्बन्ध में नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी द्वारा भी अवगत कराया गया, कि दिनांक 14.04.2023 को नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी द्वारा जनपद में भारत रत्न न्यायविद समाज सुधारक भारतीय संविधान निर्माता डॉ० भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष में नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी एवं जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम चलाया गया। उक्त स्वच्छता कार्यक्रम महिपासुर मंदिर से होते हुए कलवट्टे कॉलोनी एवं एस०पी० ऑफिस के आस-पास तथा उजेली मार्ग से होकर भटवाडी रोड में स्वच्छता की गई। उक्त स्वच्छता कार्यक्रम में विभिन्न विभागों नगर पालिका, उत्तरकाशी, स्वजल विभाग उत्तरकाशी, सैनिक कल्याण उत्तरकाशी, डी०पी०आर०ओ० उत्तरकाशी, युवा कल्याण विभाग उत्तरकाशी, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद को सिंगल यूज प्लास्टिक कूड़े से मुक्त करना तथा जनपद में स्वच्छता बनाये रखने के लिए प्लास्टिक एवं अन्य कूड़े के लगभग 11 बॉरे (कट्टे) एकत्रित कर उसको निस्तारण हेतु नगर पालिका उत्तरकाशी को दिया गया तथा पट्यान्ना के माध्यम से जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

(कार्यवाही मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी एवं जिला गंगा समिति)



[Handwritten signature]

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पॉवर हाउस तिलोथ, उत्तरकाशी में भ्रमण के दौरान देखा गया, कि उक्त स्थल पर काफी कूड़ा-करकट अव्यवस्थित रूप से लोगों के घरों के सामने पड़ा है, जिसकी काफी दिनों से साफ-सफाई नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि वह तत्काल उक्त स्थल की साफ सफाई करवा लें तथा जनपद स्थित अन्य स्थलों पर भी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया, कि नगर पालिका 15 दिन भीतर नगर क्षेत्रों में लगे कूड़े के डस्टबीन/डबों को आवश्यक रूप से साफ-सफाई कर बदल लिया करें तथा साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत अभियान चलाकर, होर्डिंग्स लगाकर व लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।

(अधिसारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/ गंगोत्री/विन्ध्यालीसौंड)

अन्त में उपरिथत जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोगर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या-2841 /3-3

(2021-22)

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह गट्टडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पुनीत तोगर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।




(Signature)

24632

दिनांक 15.04.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबा.नं.
1				
2				
3				
4				
5				
6	शैलेश चंद्र पोखरिया	प्र.प.आ.वि. अधिकारी	<i>[Signature]</i>	9411397913
7	डा. रतन भणी भट्ट	D.A.U.O. (AYUR)	<i>Ratan</i>	9412312348
8		मो.सं. उद्योग विभाग	<i>[Signature]</i>	9762202941
9	प्रहारी पंचर	D.P.O. N.Y.K. Umroli	<i>[Signature]</i>	9751475470
10	अनिल सिंह पंचर	D.E.O. (M) V.K.	<i>[Signature]</i>	7217574493
11	नरेश शर्मा	n.BDO. Dunda	<i>[Signature]</i>	9412323262
12	सुभाष, पता	DDO	<i>[Signature]</i>	9754113395
13	Suman Karia	P.O. (N.S.S.)	<i>[Signature]</i>	9897570355
14	अनील सिंह भट्ट	District Coordinator N.P.S.	<i>[Signature]</i>	9837213314
15	Mrs. Hansi Joshi	Monitoring officer	<i>[Signature]</i>	8958998089
16	Dr. Avinash Kataniga	Dy. Director/Geologist	<i>[Signature]</i>	8938954950
17	Dr. D. Prasad	A.S. & S	<i>[Signature]</i>	9411785052
18	S.S. Bhandar	Tuition Grant (ASO W)		812653548
19	MOHD ALI			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



दिनांक 12.05.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (डी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में 4.00 कि०मी० सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम०एल०डी० एरा०टी०पी० Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में रु. 28.68 करोड़ एन०एम०सी०जी० द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (मु०), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 16.11.2022 को एस०पी०एम०जी, देहरादून को प्रेषित किया गया है, जिसे एस०पी०एम०जी, देहरादून द्वारा विस्तृत प्राक्कलन एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड़ मध्ये रु. 0.60 करोड़ सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड़ अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड़ इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर कार्यक्रम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, नमामि गंगे देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

(कार्यवाही परि०प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।)

(2) अधिशारी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत एस०टी०पी० हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है, साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश के पत्रांक-275/गं०कार्य/02 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अधिशारी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०, जोशियाडा उत्तरकाशी को भूमि चयन हस्तान्तरण की कार्यवाही तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु दिनांक 20.02.2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कार्यालयाध्यक्ष की ओर से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया, कि वह इस कार्य में विलम्ब न करें तथा अनुस्मारक पत्र भेजा गया है।

इस सम्बन्ध में निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया, कि प्रस्तुत कार्ययोजनाओं की डी०पी०आर० प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करेंगे। निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश के अधिशारी अभियन्ता इस कार्यालय से समन्वय स्थापित करके बैठक करेंगे।

(कार्यवाही अधि० अग्नि० जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि०अग्नि० जल विद्युत निगम लि०, जोशियाडा/परि० प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/उप जिलाधिकारी गटवाडी)।



[Handwritten Signature]

.....2

(3) गंगा बेसिन के पास खेतों में वाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को बहाने के कारण गंगा नदी गम्भीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहे को चिन्हित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा नोटिस जारी कर चेतावनी जारी की गई है।
(कार्यवाही अधि0अधि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी / अधि0अधि0, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)

(4) अधिशारी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 15.04.2023 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। बैठक में नगर पालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि पूर्व बैठक दिनांक 15.04.2023 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेंगे। साथ ही निर्देशित किया गया है, कि जनपद में नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कूड़े का निस्तारण अकेन्द्रीयत रूप से अलग-अलग वाडों में एकत्रीकरण करते हुए जैविक एवं अजैविक कूड़े का पृथक-पृथक रूप से छंटायी कर कूड़े का निस्तारण उचित ढंग से करे तथा समय-समय पर प्रचार-प्रसार, बैनर, प्लैक्स, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जन-जागरूक अभियान चलाया जाय। नगर पालिका परिषद प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक सफाई अभियान का समय निर्धारित कर लें। नगर पालिका परिषद बाडाहाट को निर्देशित किया गया, कि कुटेटी मंदिर के पास स्थित वन विभाग के आवासीय भवनों के नीचे ढलान की ओर कुछ लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, जिस हेतु नगर पालिका तत्काल वहां पर पिंजरा लगाकर कूड़ा एकत्रित कर लें। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शहर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु समय-समय पर की गई चालानी कार्यवाही से भी अवगत करायें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया, कि नगर पालिका 15 दिन भीतर नगर क्षेत्रों में लगे कूड़े के डस्टबीन/डब्बों को आवश्यक रूप से साफ-सफाई कर बदल लिया करें तथा साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत अभियान चलाकर, होर्डिंग्स लगाकर व लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें, जितना ज्यादा सेग्रेगेशन (पृथक्करण) होगा, उतना अच्छा कार्य होगा। नगर पालिका परिषद इस सम्बन्ध में एक एप्रोच बनायें।
(कार्यवाही अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी / विन्ध्यालीसौड / गंगोत्री)

(5) गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में स्थित जो जलस्रोत हैं, उनके जल संरक्षण हेतु जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जायेगा। जन सहयोग के माध्यम से जल जंगल के स्रोतों को बचाने हेतु समस्त विभागों के कर्मचारी इस अभियान में श्रमदान के तहत पूरे जनपद में गांव-गांव में जल संरक्षण हेतु एक से डेढ़ फीट खुदायी की जायेगी। स्थान का चयन गांव के लोगों के माध्यम से किया जायेगा। समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/जिला विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में एक बैठक कर लें, जिसके पश्चात उक्त अभियान चलाया जायेगा, जो कि लगभग 01 महीने तक चलेगा, जिसमें सभी के जन सहयोग से लगभग 01 लाख खुदायी किये जाने का लक्ष्य है।
(वन विभाग/जिला विकास अधिकारी/शिक्षा विभाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी)

.....3



(6) जनपद स्थित सरकारी कॉलोनियों में एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई, जो कि प्रत्येक सरकारी कॉलोनियों के लिए निर्धारित कमेटी साफ-सफाई अभियान, स्वच्छता के बारे में ध्यान केन्द्रित किये जाने हेतु विचार-विमर्श करेगी। इस सम्बन्ध में वन विभाग व शिक्षा विभाग को कमेटी निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(वन विभाग/शिक्षा विभाग)

(7) शिक्षा विभाग स्कूल बच्चों के नमामि गंगे के अन्तर्गत होने वाले कार्य/कार्यक्रम करायेगें। शिक्षकों के साथ समन्वय बनाकर बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं भी न फेंका जाय, इसके लिए जागरूक किया जाय। साथ निर्देशित किया गया, कि रकाउट/एन0एस0एस0 के लोगों को शामिल करेगें व एक टीम बनायेगें, जिसमें चार लोगों का वालंटियर्स (स्वयंसेवकों) का गुप बनाकर स्कूलों में जाकर शिक्षकों से समन्वय स्थापित कर बच्चों को जागरूक करते हुए गीले व सूखा कूड़ा के बारे में 8-10 अच्छी बातें बतायेगें। नेहरू युवा केन्द्र को निर्देशित किया गया, कि वह भी महीने में एक बार एक अभियान सुबह के समय कोई एक स्थान को चिन्हित कर सफाई अभियान चलाया जाये। मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी व जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी व जिला गंगा समिति के अन्य सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया, कि उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या तिथिवार जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(शिक्षा विभाग/नेहरू युवा केन्द्र)

(8) समस्त खण्ड विकास अधिकारी एक रूट चार्ट बनायेगें, जिसमें गांव-गांव जाकर सम्बन्धित प्रधान से मिलकर सूखा व गीला कूड़ा को अलग-अलग एकत्रित करने के सम्बन्ध में जनजागरूक करेगें। इसमें गांव में एक ऐसे प्रहरी की व्यवस्था कर ली जाय, जो सप्ताह में एक बार गांव के घर-घर जाकर कूड़ा एकत्रीकरण करें। इस कार्य हेतु हर गांव में स्वयंसेवकों को तैयार करायेगें। कूड़ा एकत्रीकरण हेतु गांव में 10-12 फुट का एक घर बनाया जाय। इस सम्बन्ध में अच्छा कार्य करने वाले सम्बन्धित गांव के प्रधान व स्वयंसेवक को जनपद में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा।

(समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी)

(9) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री एवं उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में अधि0अभि0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है, कि नगर क्षेत्रान्तर्गत 06 नाले टैप किये गये हैं एवं शेष नालों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश निगम, ऋषिकेश) करनी है।

(कार्यवाही अधि0 अभि0 जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम, ऋषिकेश)



[Signature]

.....4

(10) अधिशारी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शौचालय पिटों से उपलब्ध होने वाली खाद उद्यान, कृषि व वन विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध करवाये जाने हेतु उक्त विभागों के साथ एमओआयों कार्यवाही मतिमान है तथा वन विभाग, घासगु, उत्तरकाशी को खाद उपलब्ध करायी गई। प्रत्येक माह जो खाद उपलब्ध जायेगी उसका विवरण जिला गंगा समिति की प्रत्येक माह होने वाली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर तथा इस हेतु न्यूनतम शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है। अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि कूड़ा छंटनी का कार्य मतिमान है, जिसके पश्चात उक्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उ०का०)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 3164 /3-3

(2021-22)

दिनांक 26 मई, 2023


प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, रवजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

११



दिनांक 12.05.2023 को जिला गंगा समिति की आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मो०नं०
1				
2	Shelly Dabral	GM DIC		9997218518
3	प्रकाश पवार	A.BDO. Dunda.		9212323262
4	Vijay Kumar Singh	AAE, Impaction Div. UKI		9634501513
5	Uttam Singh Panwar	D.P.O. N.Y.K. UKI		9756475470
6	Sunil Kr. Singh	Regional Nigam UKI		8755317619
7	Vipin Kumar	A.A.O-1		9528535858
8	प्रकाश पवार	जिला प्रमुख 33370		9412143302
9	Prabhat Shukla	J. Assit. Infor		9466554795
10	Kaularesh chawhan	A.E.O. N.D. U.II		9411911029
11	Kadipal Singh	A.O. P.O.		9899999999
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



दिनांक 16.06.2023 को अपर जिलाधिकारी, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (डी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में 4.00 कि०मी० सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम०एम०डी० एस०टी०पी० Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में रु. 28.68 करोड़ एन०एम०सी०जी० द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (नु०), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 16.11.2022 को एन०एम०सी०जी०, देहरादून को प्रेषित किया गया है, जिसे एन०पी०एम०जी०, देहरादून द्वारा विस्तृत प्राक्कलन एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश बैठक में उपस्थित नहीं थे। बैठक में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया, कि उक्त के सम्बन्ध में एन०एम०सी०जी० से कार्य की स्थिति के बारे में सम्पर्क स्थापित करते रहें।

अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा पूर्व बैठक में अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड़ मध्ये रु. 0.60 करोड़ सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड़ अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड़ इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर कार्यक्रम निदेशक, एन०एम०सी०जी०, नमामि गंगे देहरादून को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस हेतु अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट द्वारा पूर्व बैठक से सम्बन्धित अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा सम्बन्धित विभाग का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को निर्देशित किया जाता है, कि वह पूर्व बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या व बैठक में उपस्थित न होने का स्पष्टीकरण जिला गंगा समिति के सम्मुख 03 दिन भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही परि०प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी)



(2) अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत एस०टी०पी० हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है, साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश के पत्रांक-275/गं०कार्य/02 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अधिसासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल निगम लि०, जोशियाडा उत्तरकाशी को भूमि चयन हस्तान्तरण की कार्यवाही तथा

[Signature]

.....2

स्थलीय निरीक्षण हेतु दिनांक 20.02.2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कार्यालयाध्यक्ष की ओर से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया, कि वह इस कार्य में विलम्ब न करें तथा संयुक्त सर्वे कर तत्काल भूमि चयन हेतु सर्वेक्षण कर लिया जाय।

इस सम्बन्ध में निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया, कि प्रस्तुत कार्ययोजनाओं की डीपीआर प्रोजेन्टेशन प्रस्तुत करेंगे। पूर्व बैठक में निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया था, कि उनके विभाग के अधिशासी अभियन्ता इस कार्यालय से शीघ्र सम्बन्ध स्थापित करके बैठक करेंगे, किन्तु उक्त विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैठक हेतु कोई सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई। बैठक में निर्देशित किया गया है, कि निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश के अधिशासी अभियन्ता शीघ्र बैठक हेतु इस कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधि० अधि० जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि० अधि० जल विद्युत निगम लि०, जोशियाडा/परि० प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

(3) गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को बहाने के कारण गंगा नदी गम्भीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहे हैं, को चिन्हित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है, कि वह सम्बन्धितों को नोटिस जारी कर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

(4) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका उत्तरकाशी द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 12.05.2023 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। बैठक में नगर पालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि पूर्व बैठक दिनांक 12.05.2023 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेंगे। साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि जनपद में नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कूड़े का निस्तारण अकेन्द्रीयत रूप से अलग-अलग वार्डों में एकत्रीकरण करते हुए जैविक एवं अजैविक कूड़े का पृथक-पृथक रूप से छंटायी कर कूड़े का निस्तारण उचित ढंग से करे तथा समय-समय पर प्रचार-प्रसार, बैनर, प्लैक्स, नुक्कड नाटक आदि के माध्यम से जन-जागरूक अभियान चलाया जाय। नगर पालिका परिषद प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक सफाई अभियान का समय निर्धारित कर लें। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शहर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु समय-समय पर की गई चालानी कार्यवाही से भी अवगत कराये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है, कि नगर पालिका 15 दिन भीतर नगर क्षेत्रों में लगे कूड़े के डस्टबीन/डब्बों को आवश्यक रूप से साफ-सफाई कर बदल लिया करें तथा साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत अभियान चलाकर, होर्डिंग्स लगाकर व लास्ट्रिपीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें, जितना ज्यादा सेग्रेगेशन (पृथक्करण) होगा, उतना अच्छा कार्य होगा। नगर पालिका परिषद इस सम्बन्ध में एक एप्रोच बनाये।

(कार्यवाही अधि० अधि०, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड/गंगोत्री)

3



-3-

(5) गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में स्थित जो जलस्रोत हैं, उनके जल संरक्षण हेतु जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जायेगा। जन सहयोग के माध्यम से जल जंगल के स्रोतों को बचाने हेतु समस्त विभागों के कर्मचारी इस अभियान में श्रमदान के तहत पूरे जनपद में गांव-गांव में जल संरक्षण हेतु एक से डेढ़ फीट खुदायी की जायेगी। स्थान का चयन गांव के लोगों के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से कार्यवाही गतिमान है।

(कार्यवाही वन विभाग/जिला विकास अधिकारी/शिक्षा विभाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी)

(6) जनपद स्थित सरकारी कॉलोनियों में एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में पुनः चर्चा की गई, जो कि प्रत्येक सरकारी कॉलोनियों के लिए निर्धारित कमेटी साफ-सफाई अभियान, स्वच्छता के बारे में ध्यान केंद्रित किये जाने हेतु विचार-विनिर्णय करेगी। इस सम्बन्ध में पूर्व बैठक में वन विभाग व शिक्षा विभाग को कमेटी निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु वन विभाग तथा शिक्षा विभाग का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर आगामी बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही वन विभाग/शिक्षा विभाग)

(7) शिक्षा विभाग स्कूल बच्चों के नमामि गंगे के अन्तर्गत होने वाले कार्य/कार्यक्रम करायेगें। शिक्षकों के साथ समन्वय बनाकर बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं भी न फेंका जाय, इसके लिए जागरूक किया जाय। साथ निर्देशित किया गया, कि स्काउट/एनओएसओएसओ के लोगों को शामिल करेंगे व एक टीम बनायेगें, जिसमें चार लोगों का वालंटियर्स (स्वयंसेवकों) का ग्रुप बनाकर स्कूलों में जाकर शिक्षकों से समन्वय स्थापित कर बच्चों को जागरूक करते हुए गीले व सूखा कूड़ा के बारे में 8-10 अच्छी बातें बतायेगें। नेहरू युवा केंद्र को निर्देशित किया गया, कि वह भी महीने में एक बार एक अभियान सुबह के समय कोई एक स्थान को चिन्हित कर सफाई अभियान चलाया जाये। मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी व जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, उत्तरकाशी व जिला गंगा समिति के अन्य सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया, कि उनके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या तिथिवार जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही शिक्षा विभाग/जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र)

(8) समस्त खण्ड विकास अधिकारी एक रूट चार्ट बनायेगें, जिसमें गांव-गांव जाकर सम्बन्धित प्रधान से मिलकर सूखा व गीला कूड़ा को अलग-अलग एकत्रित करने के सम्बन्ध में जनजागरूक करेंगे। इसमें गांव में एक ऐसे प्रहरी की व्यवस्था कर ली जाय, जो सप्ताह में एक बार गांव के घर-घर जाकर कूड़ा एकत्रीकरण करें। इस कार्य हेतु हर गांव में स्वयंसेवकों को तैयार करायेगें। कूड़ा एकत्रीकरण हेतु गांव में 10-12 फुट का एक घर बनाया जाय। इस

कार्य में अच्छा कार्य करने वाले सम्बन्धित गांव के प्रधान व स्वयंसेवक को जनपद में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत किया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी)



24641

ANNEXURE-12 Para. 31

(9) अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी एवं उत्तरकाशी में संचालित एस0टी0पी0 नियमित रूप से कार्य कर रहा है तथा इनका मानकानुसार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्रान्तर्गत जितने नाले टैप नहीं किये गये हैं उन पर शीघ्र कार्य कर नदी में प्रवाहित हो रहे दूषित जल का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में अधि0अभि0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है, कि नगर क्षेत्रान्तर्गत 06 नाले टैप किये गये हैं एवं शेष नालों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा की जानी है।

(कार्यवाही अधि0 अभि0 जलसंस्थान उत्तरकाशी/परि0 प्र0, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) पेयजल निगम ऋषिकेश)

(10) अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत शौचालय पिटों से उपलब्ध होने वाली खाद उद्यान, कृषि व वन विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध करवाये जाने हेतु उक्त विभागों के साथ एम0ओ0यू0 कार्यवाही गतिमान है तथा वन विभाग, धरारसू, उत्तरकाशी को खाद उपलब्ध करायी गई। प्रत्येक माह जो खाद उठायी जायेगी उसका विवरण जिला गंगा समिति की प्रत्येक माह होने वाली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा इस हेतु न्यूनतम शुल्क का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर आगामी बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उ0का0)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया है, कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी0पी0 बलूनी),

प्रभागीय वनाधिकारी/

सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 3455/3-3

(2021-22)

दिनांक 23 जून, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक गुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मट्टडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।



[Handwritten Signature]


प्रभागीय वनाधिकारी/

सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

दिनांक 16.06.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की आयुक्त बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मो.नं.
1				
2				
3	G.D. Prasad.	By Director/Geologist	<i>[Signature]</i>	8938954950
4	सहायक जिलाधिकारी एवं जल संयोजक G.V.M.		<i>[Signature]</i>	9412027199
5	Secunder			
6	C.P. SINGH	AE I.D. UKI	<i>[Signature]</i>	8909079074
7	L.S. Kumari	D.P.R.	<i>[Signature]</i>	8919362325
8	Dr. Avinash Kantariga	A.E. JALANATHANIKI	<i>[Signature]</i>	9422421123
9	Amit Chand Ramola	V.O. A+D UKI	<i>[Signature]</i>	8958998089
10	Vipin Kumar	AE, UTVNL, MB-II	<i>[Signature]</i>	9456595408
11	Indramani Baurai	AAO-1 Agriculture	<i>[Signature]</i>	9528535858
12	Vijay Kumar	J.A. Yathirale/Asst. PRO.	<i>[Signature]</i>	9412992698
13	D.S. Patel.	Comp. OP. P.R. Office	<i>[Signature]</i>	7060327063
14	Uttam Kumar	DDMO	<i>[Signature]</i>	9456147974
15		PRO-NMC	<i>[Signature]</i>	9756475470
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



[Signature]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 14.07.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (डी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर पालिका, उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में 4.00 कि०मी० सीवर नेटवर्क एवं 1.00 एम०एल०डी० एस०टी०पी० Co-treatment सहित Performance Based Incentive Grant (PBIG) for Urban Local bodies under the Second National Ganga River Basin Project (SNGRBP) में रु. 28.68 करोड़ एन०एम०सी०जी० द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया, कि जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता (मु०), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 16.11.2022 को एस०पी०एम०जी, देहरादून को प्रेषित किया गया है, जिसे एस०पी०एम०जी, देहरादून द्वारा विस्तृत प्राक्कलन एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को बैठक में निर्देशित किया गया, कि PBIG कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही विभागों से सम्पर्क कर भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय। डी०पी०आर० की ब्यौरावार विवरण जल संस्थान व सिंचाई विभाग तथा नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी के साथ साझा कर लें तथा भूमि सम्बन्धी कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी भटवाडी के साथ चर्चा कर लें। साथ ही एक संयुक्त जांच कर ली जाय।

अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा पूर्व बैठक में अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड़ मध्ये रु. 0.60 करोड़ सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड़ अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड़ इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी०पी०आर० तैयार कर कार्यक्रम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, नमामि गंगे देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि हाईटेक शौचालयों के क्या मानक होते हैं तथा उसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं के सम्बन्ध में ज्ञात कर आगामी बैठक से पूर्व अवगत करायें साथ ही परि०प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया, कि वह उक्त के सम्बन्ध में जनपद में आकर संयुक्त निरीक्षण कर लें।

(कार्यवाही परि०प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/अधि०अभि०, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी/अधि०अभि०, जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग) उप जिलाधिकारी भटवाडी।



[Handwritten Signature]

.....2

(2) अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत एस0टी0पी0 हेतु भूमि चयन की कार्यवाही हेतु अभी तक संयुक्त निरीक्षण नहीं हुआ है तथा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया, कि आगामी बैठक से पूर्व संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय।

(कार्यवाही अधि0 अग्नि0 जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि0अग्नि0 जल विद्युत निगम लि0, जोशियाडा/परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

(3) गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को बहाने के कारण गंगा नदी गम्भीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहे हैं, को चिन्हित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि मोटर वर्कशॉप वालों के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये हैं। नगर पालिका द्वारा मोटर वर्कशॉप के विरुद्ध किये गये चालानी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया तथा बैठक में अवगत कराया गया, कि वह आज से ही चालानी कार्यवाही अमल में लायें तथा अधिशासी अधिकारी, नगर को निर्देशित किया गया, कि वह जिला गंगा समिति के समक्ष आगामी बैठक को माहवार चालानी कार्यवाही से अवगत करायें।

मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि गंगा बेसिन के पास गांव में खेतों में प्रयोग की जानी वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड लगाये तथा इस सम्बन्ध में सर्वे भी कर लिया जाय। यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, तो सम्बन्धितों को नोटिस जारी करें।

(कार्यवाही अधि0अधि0, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी/अधि0अग्नि0,जल संस्थान, उत्तरकाशी)

(4) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 16.06.2023 में उपस्थित न होने तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा खेद प्रकट किया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा स्पष्टीकरण आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया गया, कि जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 16.06.2023 को जिला जज महोदय द्वारा आहूत कूड़ा निस्तारण बैठक में व्यस्त होने के कारण उक्त बैठक में स्वयं उपस्थित नहीं हो सके तथा मेरे द्वारा विभागीय प्रतिनिधि श्री कैलाश चन्द सेमवाल, वरिष्ठ सहायक को बैठक में भेजा गया था। साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि पालिका द्वारा जैविक व अजैविक कूड़े की छंटाई हेतु अनुबन्धित फर्म के माध्यम से जैविक व अजैविक कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है एवं लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ई-निविदा की गई है। शीघ्र ही लिगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य वार्ड नं0-03 तिलोथ में प्रारम्भ किया जायेगा। बैठक में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा पुनः अवगत कराया गया है, कि उक्त कार्य 60 दिनों में पूरा किया जाना है, जो वर्षा दिवस को छोड़कर। पूर्व में सहमति नहीं बनी थी,

.....3



[Handwritten Signature]

किन्तु वर्तमान में अब विवाद सुलझ गया है। दिनांक 16.07.2023 (रविवार) को आने वाली टीम द्वारा सुबह से वेडिंग प्रोसेस का कार्य करते ही रविवार रात्रि से टीम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, कि जिला गंगा समिति से प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी व अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह विष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति उक्त तीनों सदस्यगण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर इनका निरीक्षण करके एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेंगे, कि जनपद उत्तरकाशी वाडाहाट क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इस कार्य में श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल उत्तरकाशी द्वारा भी सहयोग किया जायेगा।

बैठक में पृथक्कीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि वर्तमान 100 प्रतिशत सेग्रेगेशन जोशियावाडा क्षेत्र तथा ज्ञानसू क्षेत्र डोर-टू-डोर सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग किया गया है तथा गीला कूड़ा पिट्स में डाला जा रहा है। सूखे कूड़े की सिल्ली उक्त निरीक्षण दल यह भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे कि नगर पालिका द्वारा कितनी सिल्ली बनी है व किस प्रकार से बनी है तथा जो पिट्स बने हैं, उनका प्रबन्धन कैसा है और खाद जो बनी है, कितनी मात्रा में है व क्या गुणवत्ता है।

बैठक में नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि प्रचार-प्रसार के 05 बड़े बोर्ड लगाये गये हैं तथा सूखे-गीले कूड़े के पृथक्कीकरण लिए 500 कट्टे मंगाये गये हैं तथा 2000 कट्टे और मंगाये गये हैं। उपलब्ध 500 कट्टे का वितरण बाजार स्थित दुकानों में किया जायेगा। माह जुलाई, 2023 में नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा 02 चालान प्रति रु. 500/- की दर से किये गये हैं। माह जुलाई, 2023 से पूर्व किये गये चालानों का आंकडा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी बैठक में प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी द्वारा की गई चालानी कार्यवाही अपर्याप्त है तथा पूर्व में दिये गये निर्देशों के बावजूद पर्याप्त चालानी कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा उत्तरकाशी में शहर में अभी भी बड़ी संख्या में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है।

बैठक में श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उत्तरकाशी स्थित 11 वार्डों में लगाये गये 18 बड़े डस्टबीन हैं, जिनमें कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं तथा विकास भवन लदाडी में जिला पंचायत के निकट में लगे डस्टबीन की स्थिति काफी खराब है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया, कि शहर में कुल 20 बड़े डस्टबीन हैं, जिनमें से कुछ टूटे पड़े हैं, जिनकी मरम्मत/सुधार किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को निर्देशित किया गया, कि आगामी बैठक में शहर में स्थित कुल कितने डस्टबीन किन-किन स्थानों पर लगे हैं, की सूची उपलब्ध करायेगे। जिला गंगा समिति द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया, कि नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित डस्टबीन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है इनको मरम्मत करने व बदलने की आवश्यकता है तथा प्रस्तावित 30 सूत्रीय कार्यक्रम में बड़े डस्टबीनों को नगर से हटाया जाना वांछनीय गतिविधि है, जिसके आलोक में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि वह बड़े डस्टबीनों को हटाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें। अधिशासी अधिकारी द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया, कि वह सर्वप्रथम पहला डस्टबीन नगर क्षेत्र ज्ञानसू से हटाने की कार्यवाही करेंगे।



[Handwritten Signature]

.....4

टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वर्तमान में समिति के संज्ञान में आया है, कि मिश्रित टोस अपशिष्ट को तांबाखानी सुरंग के सड़क पर डाला गया है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक/अनुचित है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को निर्देशित किया जाता है, कि मिश्रित टोस अपशिष्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग में एकत्र न करे साथ ही वहां रखी अनावश्यक सामग्री को भी सड़क से हटाये। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया, कि वह इसकी समीक्षा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी की जाये तथा इस सम्बन्ध में एक आदेश पारित करने के निर्देश जारी करें।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट/चिन्वालीसौड व गंगोत्री को निर्देशित किया गया है, कि किस दर पर सिल्ली बेची जाती है, किस दर पर नीलाम करके कूड़ा बेचा जाता है तथा दरें कैसे तय की जा रही है, निविदा दस्तावेजों के साथ वह आगामी बैठक में विवरण जिला गंगा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही अधि०अधि०, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्वालीसौड/गंगोत्री/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी /अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति)

(5) गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में स्थित जो जलस्रोत हैं, उनके जल संरक्षण हेतु जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून, 2023 पर जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जन समुदाय में जागरूकता बनाये रखने के लिए जल संचय अभियान प्रारम्भ किया। यह अभियान जनपद की 508 ग्राम पंचायतों, नगर पालिका/नगर पंचायतों एवं जिला मुख्यालय के समीप सभी वार्डों एवं ग्रामों में 05 जून, 2023 से 17 जुलाई, 2023 हरेला पर्व तक सम्पादित किया जा रहा है। जल संरक्षण एवं पर्यावरण स्वच्छता मुहिम को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देने हेतु स्थानीय जनमानस /अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रमदान/सहभागिता से नई पहल की गई है। जल संचय अभियान में जल स्रोतों के संवर्द्धन/संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण/चाल-खाल/खंतियां निर्माण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जन समुदाय को जागरूक करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद में जल एवं पर्यावरण संरक्षण (जल संचय अभियान) दिनांक 21 जून, 2023 से 21 जुलाई, 2023 तक मानव जाति के अस्तित्व के लिए पेड़ों के महत्व एवं वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

जल संचय एवं संवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 05 जून, 2023 विश्व पर्यावरण दिवस से दिनांक 17.07.2023 तक जनपद स्तर पर विभागवार 9704 प्रतिभागियों द्वारा 126963 खंतियां खोदी गई तथा ग्राम विकास स्तर पर 5169 प्रतिभागियों द्वारा 14030 खंतियां खोदी गई हैं। इस प्रकार कुल 14873 प्रतिभागियों द्वारा 140993 खंतियां खोदी गई हैं।

(कार्यवाही वन विभाग/स्वजल विभाग/जिला विकास अधिकारी/शिक्षा विभाग/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/ग्राम्य विकास विभाग व अन्य समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी)

(6) जनपद स्थित सरकारी कॉलोनियों में एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में पुनः चर्चा की गई, जो कि प्रत्येक सरकारी कॉलोनियों के लिए निर्धारित कमेटी साफ-सफाई अभियान, स्वच्छता के बारे में ध्यान केंद्रित किये जाने हेतु विचार-विमर्श करेगी।



[Handwritten Signature]

.....5

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये, कि जनपद स्थित सरकारी कॉलोनीयों में साफ-सफाई अभियान, स्वच्छता के बारे में ध्यान केंद्रित किये जाने हेतु एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी हेतु कलक्ट्रेट कॉलोनी हेतु अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, शिकायत सहायक, जिला कार्यालय, मुख्य प्रबन्धक, जिला कार्यालय व अन्य विभाग का एक सदस्य नामित किये जाते हैं। इसी प्रकार पुलिस विभाग कॉलोनी उत्तरकाशी हेतु पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी व थाना मनेरी कॉलोनी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मनेरी, पूल्ड हाउस कॉलोनी हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, शिक्षा विभाग की कॉलोनी हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी, स्वास्थ्य विभाग की कॉलोनी हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तरकाशी, जल विद्युत निगम की कॉलोनी हेतु अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वी0एन0एल0, तिलोथ/जोशियाडा, वन विभाग की कॉलोनी हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित 04-05 सदस्यों की उक्त कमेटी का गठन कराकर वांछित कार्यवाही से आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी यदि चुनाव कराना चाहती हो, तो चुनाव के माध्यम से भी कमेटी का गठन किया जा सकता है।

(कार्यवाही वन विभाग/शिक्षा विभाग/राजस्व विभाग/पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जल विद्युत निगम/विकास विभाग)

(7) शिक्षा विभाग स्कूल बच्चों के नमामि गंगे के अन्तर्गत होने वाले कार्य/कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या तिथिवार जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपस्थित शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी उक्त बैठक में स्वयं उपस्थित नहीं थे, जिस हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है, कि वह बैठक में उपस्थित न होने का कारण स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण जिला गंगा समिति के सम्मुख इस कार्यवृत्त पत्र प्राप्ति के 03 भीतर प्रस्तुत करें तथा साथ ही अपने विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों को पूर्ण करते हुए वांछित सूचना आगामी बैठक में स्वयं उपस्थित रहकर जिला गंगा समिति को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उ0का0)

(8) समस्त खण्ड विकास अधिकारी एक रूट चार्ट बनायेंगे, जिसमें गांव-गांव जाकर सम्बन्धित प्रधान से मिलकर सूखा व गीला कूड़ा को अलग-अलग एकत्रित करने के सम्बन्ध में जनजागरूक करेंगे। इसमें गांव में एक ऐसे प्रहरी की व्यवस्था कर ली जाय, जो सप्ताह में एक बार गांव के घर-घर जाकर कूड़ा एकत्रीकरण करें। इस कार्य हेतु हर गांव में स्वयंसेवकों को तैयार करावेंगे। कूड़ा एकत्रीकरण हेतु गांव में 10-12 फुट का एक घर बनाया जाय। इस सम्बन्ध में अच्छा कार्य करने वाले सम्बन्धित गांव के प्रधान व स्वयंसेवक को जनपद में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि वांछित बिन्दु से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को भी समिति में जोडा जाय। साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि जो कूड़ा वाहन विकासखण्ड को दिये गये हैं, उनका अभी तक रूट चार्ट नहीं बना है। इस सम्बन्ध में

.....6



[Handwritten Signature]

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, कि इस सम्वन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी रूट चार्ट तैयार करते हुए आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करें। आगामी डी0जी0सी0 की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी भी बैठक में प्रतिभाग करेंगे।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/स्वजल विभाग, उत्तरकाशी)

(9) जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में अवगत कराकर निर्देशित किया गया, कि दिनांक 12.07.2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आयोजित बैठक के सम्वन्ध में श्री अनिल जोशी, नमामि गंगे के मार्गदर्शन में तय हुआ है, कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर/करखे/गांवों में स्थापित प्रमुख मंदिरों में जो प्रसाद वितरण किया जाता है, उसका नाम "गंगा भोग" रखा गया है। इस सम्वन्ध में सर्वप्रथम जनपद स्तर पर मुख्य मंदिरों यथा-काशी विश्वनाथ, गंगोत्री धाम मंदिर, कुटेटी देवी मंदिर, कालेश्वर मंदिर, जडभरत मंदिर आदि से चर्चा कर लें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित मंदिरों को सूचीबद्ध कर लें। प्रमुख मंदिरों के पुजारियों से बातचीत करके उनको बताया जायेगा, कि मंदिरों में प्रसाद के रूप में इलायची, वतासा आदि का उपयोग करने वजाय स्थानीय स्तर पर उत्पादित मोटा अनाज या अन्य उत्पादित खाद्य, जिससे बनाये जाने वाले प्रसाद से होने वाली आय का लाभ स्थानीय लोगों/महिलाओं को मिले। प्रमुख मंदिरों के निकट होने वाले मोटा अनाज व अन्य सामग्री का प्रयोग उसी स्थान के प्रयोग हो। जिन मंदिरों को सूचीबद्ध किया जायेगा, उनके मंदिर समिति के पुजारी यदि चाहें तो उनके स्तर अन्य कोई पारम्परिक भोग यदि हो तो उसको भी सम्मिलित किया जाय। स्थानीय भोग प्रसाद के गुणवत्ता व पैकिंग के सम्वन्ध में नमामि गंगे, भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर इस सम्वन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिला गंगा समिति के क्रियान्वयन से उक्त कार्य किया जाना है। इस कार्य हेतु श्री लोकेन्द्र सिंह विष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच का भी सहयोग रहेगा, जो प्रमुख मंदिरों को चिन्हित करवाते हुए मंदिर समिति के पुजारियों को भी आगामी बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु जिला गंगा समिति को अवगत करायेगा।

इस सम्वन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी आगामी जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व "गंगा भोग" के सम्वन्ध में एक बैठक कराकर, जिसमें प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जायेगी, जिसमें उनके विचारों को आगामी बैठक में सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी/श्री लोकेन्द्र सिंह विष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच, उ0का0)।

(9) सहायक अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई का अवशेष स्लज 4140 कि0ग्रा0 है तथा माह जून में उत्पादित स्लज 2600 कि0ग्रा0 है। इस प्रकार कुल स्लज 6740 कि0ग्रा0 है। माह जून में वितरित की गई स्लज 2400 कि0ग्रा0 है व माह जून का शेष स्लज 4340 कि0ग्रा0 है। जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है, कि वह आगामी जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत सौदालय पिटों से उपलब्ध होने वाले खाद की एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि धरासू रेंज द्वारा नगरियों के लिए खाद लिया गया है तथा उसका प्रभाव कैसा रहा है, के सम्वन्ध में आगामी

.....7



बैठक में अग्रगत कराया जायेगा। इसके सम्बन्ध में राज सरकार, उत्तरकाशी व्युत्पन्न धरे तब कर निर्धारण करेगी। सर्वेक्षक माह जो बाद उदायी जायेगी, उसका विवरण जिला मंगा समिति को नतीक माह होने वाले बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे तथा इस हेतु व्युत्पन्न धरे का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है। इन सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर आगामी बैठक में अग्रगत करना सुनिश्चित करे।

कार्यवाही अधिकारी/ जल संस्धान, उत्तरकाशी / वन विभाग / अधिशासी अधिकारी, वन्य प्राणिक परिवर्तन बकायदा, उत्तरकाशी / विद्यापीठ/ उद्यान विभाग / कृषि विभाग)

अन्त में उपस्थित जिला मंगा समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करती हुनि निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित विन्दुओं पर सम्भोरता पूर्वक कार्यवाही करते हुनि आगामी होने वाली जिला मंगा समिति की बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ तय्य उपस्थित रहेंगे तथा जिला मंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का निर्धारित तब से अनुसरण कर बैठक के कार्यवृत्त को इस बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करे।

(डी०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला मंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 272/6-1 (2022-23)

दिनांक 22 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निर्देशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक भुप नमाभि मणे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला मंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, रजजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।



22.11.23

Handwritten signature

प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला मंगा समिति, उत्तरकाशी।

दिनांक 11.08.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (डी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपरिस्थिति- संलग्न।

:-कार्यवृत्त:-

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम शिक्षा विभाग से उपरिथत खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है, कि सभी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक महीने का एक एक्टिविटी अवधि का कैलेंडर बना लें तथा स्वच्छता सम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध करायेगें। स्वच्छता अभियान को जिला गंगा समिति में सम्मिलित किया जाय। शिक्षा विभाग दिनांक 14.08.2023 से पूर्व स्वच्छता अभियान 02-03 जगहों पर लगायें। सभी गंगा ग्रामों में स्थित हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज के छात्रों द्वारा कुछ गतिविधियां की जायेगी, जो वहां के ग्रामों से, समाज से, वहां के बाजारों में जाकर लोगों से मिलकर छोटे-छोटे नुककड नाटक करें। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी, 04-05 गतिविधियां बना लें, जिसमें स्कूल स्तर पर ईएलसी (चुनावी साक्षरता क्लब)-भविष्य के मतदाताओं के लिए स्कूल स्तर पर ईएलसी स्थापित किये जायें, जिसमें कक्षा हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज तक के छात्र सदस्य बनाये जाये। कुछ गतिविधि स्वच्छता सम्बन्धी हो सकती है तथा कुछ गतिविधि पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण सम्बन्धी हो सकती। दिनांक 15.08.2023 को एक कार्यक्रम कराओं तथा दिनांक 14.08.2023 से पहले रिहर्सल करा लें। कार्यक्रम 05-10 मिनट तक की अवधि का हो। इसमें एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के छात्रों, जिन्होंने स्वच्छता अभियान में अच्छा सहयोग व कार्य किया हो, को खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चिन्हित कर 15-20 बच्चों को प्रोत्साहित करें। आयोजित गतिविधियों की आख्या/फोटोग्राफ्स हेतु स्कूल/विद्यालयों में इसका एक गतिविधि रजिस्टर भी बना लें, जिसमें प्रत्येक दिन होने वाले कार्यक्रम अंकित कर लें। इसमें सभी विद्यालयों को जोड़ना है तथा प्रथम चरण में हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज के छात्र-छात्राओं को सम्मिलित करना है। जैसे-बच्चों ने आज कितनी पेंटिंग तैयार की है तथा कितने पौधारोपण किये हैं आदि। इन छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दें।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को निर्देशित वह स्वच्छता अभियान हेतु माह अगस्त, 2023 में 02 गतिविधियां प्लान तैयार कर लें तथा एक गतिविधि 02-03 दिन में लगा लें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0का0/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0का0)

(2) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि शहर से पालिका डोर-टू-डोर कूड़ा उठाये जाने हेतु एक समुचित व्यवस्था कर लें तथा वार्ड का नक्शा बना लें। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाये जाने हेतु एक समय सारिणी बना लें तथा उसे ग्रुप में शेयर कर लें। पालिका द्वारा अवशिष्ट प्रबन्धन योजना नहीं बना रखी है। नगर पालिका डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के सम्बन्ध में जिला गंगा समिति को अवगत करायेगें। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को यह भी निर्देशित किया गया, कि 08-10 हजार थैला पूरे शहर में बंटवा लें तथा इन थैलों में केवल प्लास्टिक आना चाहिए। थैलों पर इस प्रकार का मैसेज भी छपवा लें। उक्त थैलों को पहले चरण में लगभग शहर की 100 दुकानों में बंटवा लें, जिसके पश्चात और थैलों को बंटवाया जाये।



[Handwritten Signature]

अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट द्वारा बैठक में बताया गया, कि विगत माह 57 चालान किये गये, किन्तु धनराशि के सम्बन्ध में व चालानकर्ताओं की सूची की कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

(कार्यवाही अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी)

(3) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को दिनांक 14.07.2023 को आयोजित बैठक में डी0पी0 के माध्यम से निर्देशित किया गया, कि Performance Based Incentive Grant (PBIG) कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही विभागों से सम्पर्क कर भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय। डी0पी0आर0 की ब्यौरावार विवरण जल संस्थान व सिंचाई विभाग तथा नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी के साथ साझा कर लें तथा भूमि सम्बन्धी कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी भटवाडी के साथ चर्चा कर लें। साथ ही एक संयुक्त जांच कर ली जाय।

इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग को उक्त कार्य हेतु जनपद में आकर संयुक्त मुआयना किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही परि0प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/अधि0अभि0, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी/अधि0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/ उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

(4) अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा पूर्व बैठक में अवगत कराया गया, कि उक्त स्वीकृत धनराशि रु. 28.68 करोड मध्ये रु. 0.60 करोड सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं रु. 0.60 करोड अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा 0.40 करोड इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डी0पी0आर0 तैयार कर कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी को जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 14.07.2023 को निर्देशित किया गया, कि हाईटेक शौचालयों के क्या मानक होते हैं तथा उसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं के सम्बन्ध में ज्ञात कर आगामी बैठक से पूर्व अवगत करायेगें साथ ही परि0प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया, कि वह उक्त के सम्बन्ध में जनपद में आकर संयुक्त निरीक्षण कर लें, किन्तु अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आज दिनांक 11.08.2023 को हुई जिला गंगा समिति की बैठक में कोई संतोषजनक जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को निर्देशित किया गया, कि आगामी बैठक से पूर्व उपरोक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही परि0प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/ उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

(5) अधिशारी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि जोशियाडा क्षेत्रान्तर्गत एस0टी0पी0 हेतु भूमि चयन की कार्यवाही हेतु अभी तक संयुक्त निरीक्षण नहीं हुआ है तथा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया, कि आगामी बैठक से पूर्व संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय।

(कार्यवाही अधि0 अभि0 जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि0अभि0 जल विद्युत निगम लि0, जोशियाडा/परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश/उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

.....3



[Handwritten Signature]

(6) गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को रोकने के कारण गंगा नदी गम्भीर स्तरों का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रसायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहे हैं, को चिन्हित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि मोटर वर्कशॉप वालों के विरुद्ध 03 नोटिस जारी किये गये हैं। नगर पालिका द्वारा मोटर वर्कशॉप के विरुद्ध किये गये चालानी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। अधिशासी अधिकारी, नगर को निर्देशित किया गया, कि वह किये गये चालान की सूची प्रस्तुत करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें, कि कार्यवाही कर ली गई। अधिशासी अधिकारी अगली बैठक से पूर्व अवगत करावेंगे।

मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था, कि गंगा बेसिन के पास गांव में खेतों में प्रयोग की जानी वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड लगाये तथा इस सम्बन्ध में सर्वे भी कर लिया जाय। यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, तो सम्बन्धितों को नोटिस जारी करें।

इस सम्बन्ध में मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि अगली बैठक से पूर्व मौका निरीक्षण कर स्थान सहित अवगत करावेंगे। साथ ही मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी भी अगली बैठक में उपस्थित होकर उक्त के सम्बन्ध में अवगत करावेंगे।

(कार्यवाही अधि०अधि०, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी)

(7) जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 14.07.2023 को निर्देशित किया गया, कि जिला गंगा समिति से प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी व अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति उक्त तीनों सदस्यगण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर इनका निरीक्षण करके एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेंगे, कि जनपद उत्तरकाशी बाडाहाट क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इस कार्य में श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल उत्तरकाशी द्वारा भी सहयोग किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु उक्त तीनों सदस्यगणों द्वारा कोई स्टेटमेंट/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। बैठक में निर्देशित किया गया, कि आगामी बैठक से पूर्व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु जिला गंगा समिति को आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अगली बैठक में तैयारी के साथ आयें।

(कार्यवाही अधि०अधि०, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्यालीसौंड/गंगोत्री/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी /अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति)



[Handwritten signature]

.....4

(8) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को पूर्व बैठक दिनांक 14.07.2023 को निर्देशित किया गया था, कि कितनी शिल्ली बनी है व किस प्रकार से बनी है तथा जो पिट्स बने हैं, उनका प्रबन्धन कैसा है और खाद जो बनी है, कितनी मात्रा में है व क्या गुणवत्ता है तथा साथ ही बड़े डस्टवीनों को हटाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर, किस दर पर नीलाम करके कूड़ा बेचा जाता है तथा दरें कैसी तय की जा रही है, निविदा दस्तावेजों के साथ वह आगामी बैठक में विवरण जिला गंगा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिसके सम्बन्ध में भी अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को निर्देशित किया गया, कि एक पारदर्शिता व्यवस्था बनायें, जिससे राजस्व की हानि न हो। आगामी बैठक में उक्त के सम्बन्ध आख्या जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करें तथा पूर्ण तैयारी के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहें।

(कार्यवाही अधि०अधि०, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी)

(9) टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वर्तमान में समिति के संज्ञान में आया है, कि मिश्रित टोस अपशिष्ट को तांबाखानी सुरंग के सडक पर डाला गया है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक/अनुचित है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को निर्देशित किया जाता है, कि मिश्रित टोस अपशिष्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग में एकत्र न करें साथ ही वहां रखी अनावश्यक सामग्री को भी सडक से हटायें। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय सहायक, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया, कि वह इसकी समीक्षा माह अगस्त में होने वाली सडक सुरक्षा समिति की बैठक में भी की जाये तथा इस सम्बन्ध में एक आदेश पारित करने के निर्देश जारी करें।

(कार्यवाही अधि०अधि०, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्वलीसौड/गंगोत्री/प्रनारी अधिकारी, स्थानीय निकाय सहायक, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी)

(10) जनपद स्थित सरकारी कॉलोनियों में एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई, तो केवल बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया, कि उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन कर लिया है, जबकि अन्य विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा पुनः निर्देशित किया गया, कि जनपद स्थित सरकारी कॉलोनियों में साफ-सफाई अभियान, स्वच्छता के बारे में ध्यान केन्द्रित किये जाने हेतु एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी हेतु अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित 04-05 सदस्यों की उक्त कमेटी का गठन कराकर वांछित कार्यवाही से एक सप्ताह भीतर जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी यदि चुनाव कराना चाहती हो, तो चुनाव के माध्यम से भी कमेटी का गठन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पृथक से पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही वन विभाग/शिक्षा विभाग/राजस्व विभाग/पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जल विद्युत विभाग/विकास विभाग)

.....5



(11) नगामि गंगे के अन्तर्गत होने वाले कार्य/कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता शैली आदि के सम्वन्ध में नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिरा हेतु जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है, कि वह बैठक में उपस्थित न होने का कारण स्पष्ट करते हुए अपना स्पाटीकरण जिला गंगा समिति के सम्मुख इस कार्यवृत्त पत्र प्राप्ति के 03 भीतर प्रस्तुत करें तथा साथ ही अपने विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों को पूर्ण करते हुए वांछित सूचना आगामी बैठक में स्वयं उपस्थित रहकर जिला गंगा समिति को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी)

(12) समस्त खण्ड विकास अधिकारी एक रूट चार्ट बनायेंगे, जिसमें गांव-गांव जाकर सम्बन्धित प्रधान से मिलकर सूखा व गीला कूड़ा को अलग-अलग एकत्रित करने के सम्बन्ध में जनजागरूक करेंगे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि वांछित बिन्दु से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी रूट चार्ट की कॉपी जिला गंगा समिति को उपलब्ध करायेंगे तथा महीने की कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। आगामी डी0जी0सी0 की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी भी बैठक में प्रतिभाग करेंगे।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/स्वजल विभाग, उत्तरकाशी)

(13) जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में पुनः "गंगा भोग" के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा अवगत कराकर निर्देशित किया गया, कि मानसून अवधि के पश्चात "गंगा भोग" के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक करायी जाय।

इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी मानसून अवधि के पश्चात जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व "गंगा भोग" के सम्बन्ध में एक बैठक कराकर, जिसमें प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जायेगी, जिसमें उनके विचारों को आगामी बैठक में सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी/श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच, उ0का0)।

(14) सहायक अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि माह जुलाई का अवशेष स्लज 6108 कि0ग्रा0 है तथा माह अगस्त में दिनांक 07.08.2023 तक उत्पादित स्लज 725 कि0ग्रा0 है। इस प्रकार कुल स्लज 6833 कि0ग्रा0 है। माह जुलाई में वितरित की गई स्लज 500 कि0ग्रा0 है व माह अगस्त में दिनांक 07.08.2023 तक वितरित स्लज 60 कि0ग्रा0 है इस प्रकार कुल वितरित स्लज की मात्रा 560 कि0ग्रा0 है। माह अगस्त का शेष स्लज 6773 कि0ग्रा0 है। जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया है, कि वह आगामी जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व न्यूनतम दरें तय कर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधि0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाइहाट, उ0का0/चिन्यालीसौड/उद्यान विभाग/कृषि विभाग)



[Handwritten Signature]

.....6


(15) दिनांक 11.08.2023 को हुई जिला गंगा समिति की बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा भागीरथी नदी व इसकी सहायक नदियों (गंगोत्री से चिन्वालीसौड तक) के सम्बन्ध में सहायक नदीवार पी०पी०टी० के माध्यम से प्रस्तुत कर अवगत कराया गया, कि गंगोत्री से चिन्वालीसौड तक भागीरथी नदी की सहायक नदी/नालों की कुल संख्या-66 है, जिनको प्रवाह क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है-

- 1- वह नदियां/नाले, जो जंगल से निकलकर जंगल में ही भागीरथी नदी में समाहित हो जाती है की कुल संख्या-42 है।
- 2- वह नदियां/नाले, जो जंगल से निकलकर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ गांव/कस्बों से होकर भागीरथी नदी में समाहित हो जाती है, की कुल संख्या-15 है।
- 3- वह नदियां/नाले, जो जंगल से निकलकर प्रत्यक्ष रूप से गांव/शहर/आबादी वाले क्षेत्रों के बीच से होकर गुजरती है, की कुल संख्या-09 है।

उक्त विवरण के क्रमांक-01 व 02 पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के अनुसार प्रस्तुत नदियां आरक्षित वन भूमि से निकलकर आरक्षित वन भूमि में ही तथा एक या दो गांव/कस्बों से होकर भागीरथी नदी में समाहित हो जाती है, जिस कारण उक्त नदियों में मृदा जल संरक्षण कार्यों की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रमांक-03 पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के अनुसार प्रस्तुत 09 नदियां/नाले-अस्सीगंगा, इन्द्रावती गाड, घनारी गाड, रानूकी गाड, घनारी गाड, गमरी गाड, खुरमोला गाड, दिचली गाड व नगुन गाड नदियां आरक्षित वन भूमि से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों से (गांवों/शहरों) से गुजरकर भागीरथी नदी में समाहित हो जाती है, जिस कारण उक्त नदियों के कैचमेन्ट एरिया में मृदा अपरदन/भू-स्खलन की सम्भावना बनी रहती है जिस कारण नदी में गाद भरने की समस्या उत्पन्न होती है, जिस हेतु उक्त नदियों में मृदा जल संरक्षण कार्यों (चैकडैम, ट्रेंच, चाल-खाल, वृक्षारोपण आदि) की नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग सिंचाई खण्ड, जल संस्थान, पेयजल निगम, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन विभाग, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला उद्योग केन्द्र इन 09 गाडों में यदि कोई सीवेज की समस्या है या कोई छोटे उद्योग स्थापित है, जिनका कोई अपशिष्ट इन गाडों में आता है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अपनी आख्या तत्काल जिला गंगा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही अधि०अभि०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/अधि०अभि०, जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि०अभि०, पेयजल निगम, उत्तरकाशी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, चिन्वालीसौड, गंगोत्री/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी)

अन्त में उपरिथत जिला गंगा समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निर्देशित किया गया है, कि अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आगामी होने वाली जिला गंगा समिति की बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ स्वयं उपस्थित रहें तथा जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



(डी०पी० बलमी),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

-7-
24656

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

दिनांक 17 अगस्त, 2023

संख्या-636 /6-1 (2022-23)

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- कार्यकम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक गुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 प्रभागीय वनाधिकारी/
 सदस्य सचिव
 जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

9/11




22-11-23



दिनांक 11.08.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	फोन नं०
1				
2				
3	डी.पी. खन्ना	DAB Jankar	[Signature]	9412187276
4	डी.पी. मिश्रा	[Signature]	[Signature]	9454768310
5	डी.पी. मिश्रा	पुनर्वसन विभाग	[Signature]	9917800284
6	क. लाल शर्मा	निर्वाह (प. ड.)	[Signature]	7895885564
7	लोकेश सिंह	प्रा.न.क.स.म.प. गंगा न.स.प.	[Signature]	942027190
8	मुमता अहमद	सहायक जल संयोजक	[Signature]	9411185954
9	एम. राव	खण्डाधिकारी	[Signature]	8755900405
10	राजकुमार सिंह	कारिगरी-सहायक	[Signature]	976213069
11	Uttam Singh	DPO - D.C.C.	[Signature]	9756475470
12	रमेश चंद्र शर्मा	क.स. अधिकारी - डी.डी.	[Signature]	9634706994
13	डा. रतन मणी अहल	D.A.U.O. (Ayurvedic)	[Signature]	9412312348
14	अनिल सिंह महर (N.S.S)	रा. कीर्ति शूर्य क. आ.कामी	[Signature]	9897570355
15	केशव प्रसाद	संचालन नि.स.म.प. (क.स.)	[Signature]	8126840744
16	P. Saklan	D. Br. U.K.	[Signature]	9412141838
17	Dr. Amit Hamgum	BDO Bhatwari	[Signature]	9105887050
18	K. S. Chauhan	Ex-En. P.D. U.K.	[Signature]	9105901622
19	V.D. Nautiyal	Assistant Engineer (U.K.)	[Signature]	8979466779
20	अमित कुमार	सहायक नि.स.म.प. (क.स.)	[Signature]	8954524104
21	गंगा सिंह	स. सहायक नि.स.म.प. (क.स.)	[Signature]	9411750525
22	शिवकुमार सिंह	न.स.म.प. (क.स.)	[Signature]	9760316380
23				
24				
25				
26				
27				



[Handwritten Signature]

दिनांक 08.09.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (जी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपरिस्थिति- संलग्न।

::-कार्यवृत्त-::

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम बैठक में शिक्षा विभाग से उपरिथत प्रतिनिधि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया गया है, कि विगत माह की गई कार्यक्रम से सम्बन्धित एक्टिविटी रिपोर्ट 03 दिन भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे, जिसके पश्चात प्राप्त रिपोर्ट को एस0पी0एम0जी0/एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की जायेगी। स्कूलों में ईएलसी ईएलसी (चुनावी साक्षरता क्लब)-भविष्य के मतदाताओं के लिए स्कूल स्तर पर ईएलसी स्थापित किये जायें, जिसमें कक्षा हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज तक के छात्र सदस्य बनाये जायें। सभी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक महीने का एक एक्टिविटी अवधि का कैलेंडर बना लें तथा स्वच्छता सम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध करायेगें। शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया, कि उनके द्वारा स्वच्छता अभियान/जनजागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम कराये जाने हैं, जिस हेतु सामाग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को बैठक में बताया गया, कि वह इस सम्बन्ध में अपनी मांग प्रस्तुत करें। जैसे-ग्लव्स, थैले, साफ-सफाई आदि से सम्बन्धित सामग्री के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद को अपनी डिमाण्ड दें तथा स्कूल के बच्चों में कराये जाने वाली कला प्रतियोगिता हेतु स्टेशनरी की आवश्यकता के सम्बन्ध में व बच्चों के लिए सूक्ष्म जलपान आदि के सम्बन्ध में जिला गंगा समिति को अपनी डिमाण्ड दे सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा की जानी गतिविधियों हेतु एक डक्यूमेंट्री बनायें, जिसे वह जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति को उपलब्ध करायेंगें।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0का0/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0का0/जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति)।

(2) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के सम्बन्ध में अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन प्रभावी हो, जिसमें कूड़ा वाहन कहां से प्रस्थान करेगा व कूड़ा वाहन किन-किन वार्डों में कहां पर पहुंचेगा व कितने समय पर, जिसमें होल्ड का भी निर्धारित समय हो के सम्बन्ध में इसकी रिपोर्ट 03 दिन भीतर जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा बाजार में 500 कट्टे बांटे गये हैं, किन्तु बाजार में लोगों द्वारा बांटे गये थैलों को वापस नहीं लौटा रहे हैं। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक स्वजल, उत्तरकाशी, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी, जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी, श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक गंगा विचार मंच, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी भटवाडी, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी संयुक्त रूप एक गोष्ठी कर एक व्यवस्था बना लें, जिसमें असंतोषजनक की स्थिति में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल उत्तरकाशी/पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल उत्तरकाशी/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी/जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति/श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक गंगा विचार मंच, उ0का0/उप जिलाधिकारी भटवाडी/पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी)।



[Signature]

.....2

(3) अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया, कि विगत माह 08 चालान किये गये, किन्तु धनराशि का ब्यौरा नहीं दिया गया। अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि चालानी कार्यवाही का लिखित ब्यौरा धनराशि सहित 03 दिन भीतर जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अधिकारी द्वारा वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकत्रीकरण/पृथकीकरण में वांछित सहयोग प्रदान न किये जाने वावत अपशिष्ट संरक्षकों संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यवाही को अनुशासित करें। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्वासन एवं अध्ययन एवं तकनीकी सहायता हेतु तथा इलेक्ट्रिक कम्पोस्ट मशीन व इलेक्ट्रिक इन्सिनेरेटर मशीन आदि हेतु कुल रु. 1.60 करोड की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी डीपीआर तैयार कर कार्यक्रम निदेशक, एसपीएमजी, नमामि गंगे देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि वह इस हेतु साईड का चुनाव कर लें।

बाडाहाट में पुर्नचकण की क्या कार्यवाही है, के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया, कि पुर्नचकण की कार्यवाही का स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करें। जिसमें कम्पेटर पर लॉग बुक रखी जाय, जिसमें किस तिथि को कितना ठोस अपशिष्ट पुर्नचकण हेतु प्राप्त हुआ है। इसमें 50 से 60 कि०ग्रा० का एक इलेक्ट्रिक तराजू भी रखा जाय तथा प्रतिमाह प्राप्त होने वाले पुर्नचकण के लिए प्रेषित किये जाने वाले ठोस अपशिष्ट की दिनांक सहित सूचना व प्राप्त आय का विवरण जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, गंगा विचार मंच द्वारा बताया गया, कि गोफियारा स्थित कम्पेक्टर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। अधिशासी अधिकारी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि उक्त कम्पेक्टर को ठीक करा लें। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया था, कि कितनी सिल्ली बनी है व किस प्रकार से बनी है तथा जो पिट्स बने हैं, उनका प्रबन्धन कैसा है और खाद जो बनी है, कितनी मात्रा में है व क्या गुणवत्ता है तथा साथ ही बड़े डस्टबीनों को हटाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर, किस दर पर नीलाम करके कूड़ा बेचा जाता है तथा दरें कैसे तय की जा रही हैं, निविदा दस्तावेजों के साथ वह आगामी बैठक में विवरण जिला गंगा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। बरसाली नालों की अभियान के तहत सफाई कराना सुनिश्चित करें। नालियों की सफाई सम्बन्धी सूचना प्रतिमाह जिला कार्यालय के स्थानीय निकाय सहायक पटल को देंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी)

(4) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश बैठक में उपस्थित थे। परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम ऋषिकेश द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि Performance Based Incentive Grant (PBIG) कार्यक्रम के तहत वह अधिशासी अभियन्ता, यू०जे०वी०एन०एल० जोशियाडा से मिलें तथा मांग पत्र प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया, कि वह इस सम्बन्ध में भूमि चयन हेतु उप जिलाधिकारी भटवाडी को पत्र लिखें। साथ ही कार्य करने से पूर्व भूमि चयन की कार्यवाही कर लें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि PBIG कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्य तथा जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर

.....3



24660

एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति आतिथि तक अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक द्वारा अनुरोध किया गया, कि उक्त कार्य की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय की ओर से एस0पी0एम0जी0 को पत्र प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक को बैठक में निर्देशित किया गया, कि PBIG कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यों तथा गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित कार्य की एक स्टेट्स रिपोर्ट शीघ्र जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करें, जिसके अनुसार एस0पी0एम0जी0 को अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(कार्यवाही परि0प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, त्रपिकेश/अधि0अभि0, 00जे0वी0एन0एल0, जोशियाडा/ उप जिलाधिकारी भटवाडी)।

(5) गंगा बेसिन के पास खेतों में बाह्य रसायनिक इनपुट के भारी प्रयोग के कारण कीटनाशकों एवं जीव मारकों जैसे रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा को वहाने के कारण गंगा नदी गम्भीर खतरे का सामना कर रही है। अतः शहर के आस पास स्थित ऐसे वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मोटर वर्कशॉप जो निकलने वाली रासायनिक प्रवाह (Chemical effluent) को सीधे नालों में प्रभावित कर रहे हैं, को चिन्हित करते हुए उनको शीघ्र नोटिस जारी कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर को निर्देशित किया गया, कि वह किये गये चालान की सूची प्रस्तुत करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें, कि कार्यवाही कर ली गई। अधिशासी अधिकारी अगली बैठक से पूर्व अवगत करायेगें।


मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी जिला गंगा समिति की उक्त बैठक में उपस्थित नहीं है तथा नांही उनके द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है। अतः मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या तथा बैठक में उपस्थित न होने का स्पष्टीकरण सहित 03 भीतर जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधि0अधि0, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी)

(6) जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 11.08.2023 को निर्देशित किया गया, कि जिला गंगा समिति से प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी व अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति उक्त तीनों सदस्यगण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर इनका निरीक्षण करके एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेंगे, कि जनपद उत्तरकाशी बाडाहाट क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं के सम्बन्ध में आगामी बैठक से पूर्व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु जिला गंगा समिति को आख्या प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच द्वारा अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी व अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी के साथ विजिट कर निरीक्षण किया गया। साथ ही डोर-टू-डोर सेग्रेशन का कार्य, जो लदाडी व जोशियाडा में चल रहा है, उसकी एक सैंपल मॉनिटरिंग घरों में जाकर कर लें। यदि कोई मोहल्ला/व्यक्ति सेग्रेशन नहीं कर रहा है, तो उसे इस कार्य हेतु प्रेरित करें।

(कार्यवाही अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्वालीसौड/गंगोत्री/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी /अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति/पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी)

.....4



(7) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वर्तमान में समिति के संज्ञान में आया है, कि मिश्रित ठोस अपशिष्ट को तांवाखानी सुरंग के सड़क पर डाला गया है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक/अनुचित है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट द्वारा बैठक में बताया गया है, कि मिश्रित ठोस अपशिष्ट को लिंगेसी वेस्ट के निस्तारण के उपरान्त खाली हुई। सड़क पर ले जाकर व्यवस्थित रूप से उसकी छंटाई अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद प्रस्तावित कर रहे हैं। निर्देशित किया गया, कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य सार्वजनिक सड़क पर न करते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एम0आर0एफ0 सेंटर पर किया जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया, कि नगर पालिका परिषद, बाडाहाट व अन्य स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में लगे अपने स्वच्छता कर्मियों को कूड़े के एकत्रीकरण व पृथकीकरण के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दें।

(कार्यवाही अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड/गंगोत्री)

(8) जनपद स्थित सरकारी कॉलोनीयों में एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। बैठक में वन विभाग, शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग द्वारा बताया गया, कि रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन कर लिया है, जबकि पुलिस, स्वास्थ्य, यू0जी0वी0एन0 व विकास विभाग द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया, कि उक्त विभागों को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जल विद्युत निगम/विकास विभाग)

(9) नमामि गंगे के अन्तर्गत होने वाले कार्य/कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों यथा स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता रैली आदि के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं कराये गये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बाडाहाट को बैठक में निर्देशित किया गया, कि माह में दो बार वृहद स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी जनजागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रम कराकर रिपोर्ट जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी जिला गंगा समिति के सदस्यगणों को निर्देशित किया गया, कि जो भी जनजागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रम कराये जाते हैं, उनका लिखित रूप से उल्लेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी/जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी/जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति)

(10) समस्त खण्ड विकास अधिकारी एक रूट चार्ट बनायेगें, जिसमें गांव-गांव जाकर सम्बन्धित प्रधान से मिलकर सूखा व गीला कूड़ा को अलग-अलग एकत्रित करने के सम्बन्ध में जनजागरूक करेंगे। इस सम्बन्ध में बैठक में श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि रूट चार्ट बन गया तथा रूट चार्ट की प्रति जिला गंगा समिति को शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि आगामी जिला गंगा समिति की बैठक में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

(कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी/पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल विभाग, उत्तरकाशी)

.....5



[Handwritten Signature]

(11) जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में पुनः "गंगा भोग" के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया, कि मानरून अवधि के पश्चात "गंगा भोग" के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक करायी जाय।

इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी मानरून अवधि के पश्चात जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व "गंगा भोग" के सम्बन्ध में एक बैठक कराकर, जिसमें प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जायेगी, जिसमें उनके विचारों को आगामी बैठक में सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी/श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच, उ0का0)।


(12) सहायक अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी द्वारा अवगत बैठक में प्रत्येक माह का कुल स्लज, वितरित स्लज व अवशेष स्लज के सम्बन्ध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा नांही लॉग बुक प्रस्तुत की गई। जल संस्थान, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक माह का स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में जल संस्थान वन विभाग, कृषि विभाग व उद्यान विभाग को पत्र प्रेषित करेंगे। वन प्रभाग, उत्तरकाशी अपने तीनों डिवीजनों को भी इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही अधि0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग)

(13) दिनांक 11.08.2023 को हुई जिला गंगा समिति की बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा भागीरथी नदी व इसकी सहायक नदियों (गंगोत्री से चिन्यालीसौड तक) के सम्बन्ध में सहायक नदीवार पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पत्र/पी0पी0टी0 कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा इनपुट प्रस्तुत किये जाने थे, जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बैठक में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी द्वारा बताया गया, कि वह नदियां/नाले, जो जंगल से निकलकर प्रत्यक्ष रूप से गांव/शहर/आबादी वाले क्षेत्रों के बीच से होकर गुजरती है कोई सीवेज की समस्या नहीं है तथा कोई अपशिष्ट इन गाड़ों में नहीं जाता है। इस सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया, कि भागीरथी नदी व इसकी सहायक नदियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सहायक नदीवार योजना अगली बैठक से पूर्व एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधि0अभि0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/अधि0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी/अधि0अभि0, पेयजल निगम, उत्तरकाशी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, चिन्यालीसौड, गंगोत्री/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निर्देशित किया गया है, कि अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित विन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आगामी होने वाली जिला गंगा समिति की बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



(डी0पी0 बलनी),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

.....6

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 1099 /6-1 (2022-23)

दिनांक 19 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।





दिनांक 08.09.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र. सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	हस्ताक्षर	मो०नं०
1				
2				
3				
4	लोकेश सिंह विह - गंगा विचारणीय	जूनियर असिस्टेंट	[Signature]	9412027790
5	मो० ए० म०	जूनियर असिस्टेंट	[Signature]	9917720822
6	Dr. Animesh K. Khatiwala	V.O AND Uki	[Signature]	8958998098
7	सि० ए० ए०	Jr. DPRO. Uki	[Signature]	9410176616
8	M. S. Nath	EE(Civil), UJVNL	[Signature]	8952406522
9	Amit Chand Ramola	AE(Civil), UJVNL	[Signature]	9456595408
10	C.P. Khamari (C.A.O)	C.A.O Education	[Signature]	9410199189
11	Vijay Prakash Bhandari	D.O. P.H.D	[Signature]	9412991255
12	Shelly Prabhu	GM DIC	[Signature]	9997218518
13	Dr. Ratan Mani Bhatt	D.A.U.O. (Ayurvedic)	[Signature]	9412312348
14	Mohit - NYK	APA (NYK)	[Signature]	7015614511
15	अतोल सिंह महर (N.S.G)	कार्यक्रम अधिकारी N.S.G	[Signature]	9897570355
16	Prabhat Shukla	Junior Assistant	[Signature]	9450554795
17	Uttam Singh	D.P.O.	[Signature]	9751475470
18	Kamal Singh Chauhan	S.T. N.P.P. Chinyolima	[Signature]	9410721703
19	G.D. Pansari	Dy-Director/Geologist	[Signature]	8938954950
20	S.K. VERMA.	Project Manager, C.A. (N.P.P.)	[Signature]	9412929493
21	Kanhuja Lal	UKATN, Rishikesh	[Signature]	7249910946
22	Bhasti	SDO Forest	[Signature]	8979991180
23	Shiv Kumar Singh Chauhan	Draftsman	[Signature]	9760316350
24	K. S. Chauhan	E.O. N.P.P. Utkerli	[Signature]	8192927212
25	L.S. Kurain	E.E. Amisatim Din Uki	[Signature]	9412923123
26	Jaspal Chauhan	AB Jal Sansthan Uki	[Signature]	706030440
27	Sandeep Kumar	R.T.O (Rishikesh)	[Signature]	9597975571
28	Dharmendra Prasad	PE (Ganga) Rksh	[Signature]	9412438985



दिनांक 13.10.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति (डी.जी.सी.) की बैठक का कार्यवृत्त।
उपरिस्थिति- संलग्न।

:-कार्यवृत्त:-

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं पर अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई।

(1) सर्वप्रथम बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये, कि नगर निकायों के द्वारा स्वच्छता एवं कूड़ा प्रयत्न हेतु की जानी वाली कार्यवाहियों पर उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति भी ध्यान देगी। सर्वप्रथम जिला मुख्यालय पर इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा तथा 10 ऐसे संवेदनशील स्थानों पर मॉनीटरिंग रखी जायेगी जहां पर अत्यधिक मात्रा में कूड़ा फेंका जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह इन स्थानों पर सफाई से पहले व सफाई के पश्चात की जिओ टैग की गई फोटोग्राफस लेकर सफाई व्यवस्था व कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति पर शोकथाम के लिए सभी पालिकाओं द्वारा की गई कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा। साथ ही बैठक में यह निर्देशित किया गया, कि नगर निकायों को डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व श्रोत पर ही कूड़े की छंटाई पर आवश्यक ध्यान देना होगा। इसके लिए निकायों को कूड़ा संग्रहण वाहनों का रूट चार्ट व समय सारणी प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कूड़ा अव्यवस्थित करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर अधिक से अधिक चालान वसूली की कार्यवाही की जाय। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि नगर पंचायत गंगोत्री क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गन्दगी करने पर 29 व्यक्तियों के विरुद्ध Anti littering & Anti spitting एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए रु. 8200/- का अर्धदण्ड वसूल किया गया। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड क्षेत्रान्तर्गत इस सप्ताह गन्दगी करने पर एवं पॉलीथीन प्रयोग करने पर 07 व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए रु. 1400/- का अर्धदण्ड वसूल किया गया।

जिला गंगा समिति की बैठक में नगर पालिका चिन्यालीसौड तथा नगर पंचायत गंगोत्री को छोड़कर अन्य निकायों द्वारा चालान की कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत न किये पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी (नोडल) को चेतावनी निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अतः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को चेतावनी निर्गत की जाती है, कि वह उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण तत्काल जिला गंगा समिति की समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी (नोडल) को निर्देशित किया जाता है, कि आगामी माह की जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व अन्य सभी नगर पालिकाओं से चालानी रिपोर्ट प्राप्त कर चालान की कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट (नोडल) / गंगोत्री / चिन्यालीसौड / बडकोट / नौगांव / पुरोला / पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी / श्री लोकेन्द्र बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच, उत्तरकाशी)।

(2) गत बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया था, कि स्वच्छता अभियान/जनजागरूता सम्बन्धी कार्यक्रम की एक एक्टिविटी कलेण्डर बना लें। बैठक में शिक्षा विभाग से उपरिस्थित प्रतिनिधि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में की गई गतिविधियों का कलेण्डर बना लिया है। बैठक में शिक्षा

-----2



Handwritten signature

विभाग को निर्देशित किया गया, कि की गई गतिविधियों सम्बन्धी रिपोर्ट जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही यह निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक माह स्वच्छता अभियान/जनजागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम का एक निश्चित कलेण्डर बना लें।

इस सम्बन्ध में सभी विभागों को यह भी निर्देशित किया गया, कि यह प्रत्येक माह जो भी गतिविधियां करते हैं, जैरो-स्वच्छता अभियान/जनजागरूकता/डी0आर0एस0 आदि से सम्बन्धित एक ड्यगमूेट्री बनायें, जिसमें प्रत्येक माह में तिथिवार फोटोग्राफस/समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज की कटिंग भी सम्मिलित हो।


(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0का0/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ0का0/ जिला गंगा समिति के समस्त सदस्य अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति)।

(3) गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में खेतों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने के लिए किये गये उपायों के साथ ही रीवेज प्रबन्धन और गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गई। इस सम्बन्ध में बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया, कि उनके द्वारा चालानी कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में खाली प्लास्टिक बोतलों व पैकेजिंग को एकत्रित करने के लिए शुरू किये गये डिपोजिटरी रिफंड सिस्टम (डी0आर0एस0) की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस योजना को संचालित करने वाले संगठन रिसाईकल के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई, कि धामों व इससे लगे मार्गों पर पैकेजिंग बोतलों आदि पर क्यूआर कोड लगाकर बिक्री करने और वापसी पर निर्धारित धनराशि की इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से कियान्वयन किया जाय तथा स्थानीय विक्रेताओं को खाली बोतलों के संग्रहण प्वाइंट का कार्य देने का प्रयास भी किया जाय। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री को निर्देशित किया गया, कि वह इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिसके पश्चात अन्य पालिकायें भी कार्यवाही करेंगीं।

(कार्यवाही समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी)

(4) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), पेयजल निगम, ऋषिकेश बैठक में उपस्थित थे। परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम ऋषिकेश द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि Performance Based Incentive Grant (PBIG) कार्यक्रम के तहत वह अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वी0एन0एल0 जोशियाडा से मिलें तथा मांग पत्र प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया, कि वह इस सम्बन्ध में भूमि चयन हेतु उप जिलाधिकारी भटवाडी को पत्र लिखें। साथ ही कार्य करने से पूर्व भूमि चयन की कार्यवाही कर लें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा बैठक में अवगत कराया गया, कि PBIG कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्य तथा जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित करने हेतु रु. 339.06 लाख का प्राक्कलन तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति आतिथि तक अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक द्वारा अनुरोध किया गया, कि उक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय की और से एस0पी0एम0जी0 को पत्र प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक को बैठक में निर्देशित किया गया, कि PBIG कार्यक्रम

.....3



[Handwritten Signature]

24667 -3-

के तहत होने वाले कार्यों के अभाव में प्रभाग में छूटे हुए हाउस होल्ड को सीवर सुविधा से आच्छादित कार्य की एक स्टेटस रिपोर्ट शीघ्र जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करें, जिसके अनुसार एस0पी0एम0जी0 को अधोहस्ताक्षरी की और से पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(कार्यवाही परि0प्रबन्धक, निर्माण एवं अग्रगण्य प्रकाई (गंगा), पेयजल निगम, त्रपिकेश/अधि0अधि0, यू0जी0वी0एन0एन0, जोशियाडा/ उप जिलाधिकारी गटवाही)।

(5) जिला गंगा समिति की गत बैठक दिनांक 08.09.2023 को निर्देशित किया गया, कि जिला गंगा समिति से प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी व अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति उक्त तीनों सदस्यगण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर इनका निरीक्षण करके एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेंगे, कि जनपद उत्तरकाशी बाडाहाट क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं के सम्बन्ध में आगामी बैठक से पूर्व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु जिला गंगा समिति को आख्या प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच द्वारा अवगत कराया गया, डोर-दू-डोर मॉनिटरिंग नहीं की गई तथा जो लोग जोशियाडा व लदाडी क्षेत्र में पैदल गलियों से आते-जाते हैं, वह लोग कि जोशियाडा झूला पुल के पास बड़ी मात्रा में कूड़ा फेंक दे रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञानसू क्षेत्र में 02 स्थानों पर कूड़ा फेंक रहे हैं तथा ठीक ढंग से सेग्रेशन का कार्य नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट को निर्देशित किया गया, कि वह उक्त क्षेत्रों में सेग्रेशन का कार्य व्यवस्थित रूप से करना सुनिश्चित कर तत्काल रिपोर्ट जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्वालीसौड/गंगोत्री/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी /अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच समिति/पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी)

(6) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वर्तमान में समिति के संज्ञान में आया है, कि मिश्रित ठोस अपशिष्ट को तांबाखानी सुरंग के सड़क पर डाला गया है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक/अनुचित है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट द्वारा बैठक में बताया गया है, कि मिश्रित ठोस अपशिष्ट को लिंगेसी वेस्ट के निस्तारण के उपरान्त खाली हुई। सड़क पर ले जाकर व्यवस्थित रूप से उसकी छंटाई अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद प्रस्तावित करें रहे हैं। निर्देशित किया गया, कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य सार्वजनिक सड़क पर न करते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एम0आर0एफ0 सेंटर पर किया जाय।


इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया, कि नगर पालिका परिषद, बाडाहाट व अन्य स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में लगे अपने औपचारिक/अनौपचारिक स्वच्छता कर्मियों को कूड़े के एकत्रीकरण व पृथकीकरण के सम्बन्ध में ट्रेनिंग देंगे। (कार्यवाही अधि0अधि0, नगरपालिका परिषद, बाडाहाट उत्तरकाशी/चिन्वालीसौड/गंगोत्री)

(7) जनपद स्थित सरकारी कॉलोनियों में एक रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। बैठक में वन विभाग, शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग द्वारा बताया गया, कि रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन कर लिया है, जबकि पुलिस, स्वास्थ्य, यू0जी0वी0एन0 व विकास विभाग द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर (RW) कमेटी का गठन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया, कि उक्त विभाग तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही पुलिस विभाग/स्वास्थ्य विभाग/जल विद्युत निगम/विकास विभाग)

.....4

[Handwritten Signature]



(8) जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में पुनः "गंगा भोग" के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया, कि "गंगा भोग" एक बड़े स्तर पर सर्वप्रथम गंगोत्री धाम व काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रारम्भ किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व "गंगा भोग" के सम्बन्ध में एक बैठक कराकर, जिसमें प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जायेगी, जिसमें उनके विचारों को आगामी बैठक में सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी/श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच, उ0का0)।

(9) जल संरक्षण, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक माह का कुल स्लज, वितरित स्लज व अवशेष स्लज के सम्बन्ध में प्रत्येक माह का स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में जल संरक्षण वन विभाग, कृषि विभाग व उद्यान विभाग को पत्र प्रेषित करेंगे। वन प्रभाग, उत्तरकाशी अपने तीनों डिवीजनों को भी इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही अधि0अभि0, जल संरक्षण, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निर्देशित किया गया है, कि अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आगामी होने वाली जिला गंगा समिति की बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी0पी0 बलूनी),
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 1586/6-1 (2022-23)

दिनांक 23 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मडूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

(8) जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में पुनः "गंगा भोग" के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया, कि "गंगा भोग" एक बड़े स्तर पर सर्वप्रथम गंगोत्री धाम व काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रारम्भ किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व "गंगा भोग" के सम्बन्ध में एक बैठक कराकर, जिसमें प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जायेगी, जिसमें उनके विचारों को आगामी बैठक में सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी/श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, संयोजक, गंगा विचार मंच, उ०का०)।

(9) जल संस्थान, उत्तरकाशी को बैठक में निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक माह का कुल स्लज, वितरित स्लज व अवशेष स्लज के सम्बन्ध में प्रत्येक माह का स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में जल संस्थान वन विभाग, कृषि विभाग व उद्यान विभाग को पत्र प्रेषित करेंगे। वन प्रभाग, उत्तरकाशी अपने तीनों डिवाइजनों को भी इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही अधि०अभि०, जल संस्थान, उत्तरकाशी/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग)

अन्त में उपस्थित जिला गंगा समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निर्देशित किया गया है, कि अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आगामी होने वाली जिला गंगा समिति की बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर बैठकों के कार्यवृत्त को डैश बोर्ड में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी०पी० सिनी)

प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 1586 /6-1 (2022-23)

दिनांक 23 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक ग्रुप नमामि गंगे, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।
- 3- श्री प्रताप सिंह मट्टूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वजल, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- उपरोक्त सम्बन्धित विभाग को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रभागीय वनाधिकारी/
सदस्य सचिव

जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी।

Home / Submit Data


- Data Entry
- Data Submission
- Request for extension
- Meeting Attendance Report
- DGC Meeting Report

Assessment Year *

2023-2024

View

DGC's submitted status



Month	Status
April	Submitted
May	Submitted
June	Submitted
July	Submitted
August	Submitted
September	Submitted
October	Submitted
November	Pending
December	Pending
January	Pending
February	Pending
March	Pending



24672

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक- 1736/ 26-1 कोटबंगला, दिनांक 06/11/2023

सेवा में

Program Director,
State Program Management Group,
Namami Gange,
Dehradun Uttarakhand.

विषय :- Tributary wise/presentation from the District Ganga Committees.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2023 को प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जिला गंगा समिति उत्तरकाशी के अन्तर्गत Tributary wise/presentation तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक:-यथोपरि।


भवदीय

(डी०पी० बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

संख्या- /26-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।



(डी०पी० बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।

E-Mail- dfouttarkashid@gmail.com

Phone/Fax No.- 01374-222444

पत्रांक :- / 1-13 दिनांक, कोटबंगला, 11 / 10 / 2023 ।

सेवा में,

Program Director,
State Program Management Group,
Namami Gange, Dehradun, Uttarakhand.

विषय :- Training (Second Cycle) For District Ganga Committees on District Ganga Plan Preparation.

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 592/SPMG/Namami Gange/DGS, दिनांक 09.10.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक-16.10.2023 एवं दिनांक 17.10.2023 को Hotel Hyatt Centric, Dehradun में District Ganga Committees on District Ganga Plan Preparation हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में उत्तरकाशी जिले से 02 अधिकारियों को नामित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में जिला उत्तरकाशी से उपरोक्त कार्यशाला में प्रतिभाग किये जाने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री उत्तम पंवार	जिला परियोजना अधिकारी, (डी०पी०ओ०), उत्तरकाशी ।
2	श्री कन्हैया लाल	उप प्रभागीय वनाधिकारी, भटवाड़ी उप वन प्रभाग ।

अतः सम्बन्धित अधिकारी District Ganga Committees on District Ganga Plan Preparation से सम्बन्धित कार्यशाला में निर्धारित तिथि को ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।


भवदीय

(डी०पी०बलूनी)
सचिव जिला गंगा समिति /
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

दिनांकित :- 14/6 11-13 ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्त कार्यशाला में निर्धारित तिथि को ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

1. श्री उत्तम पंवार, जिला परियोजना अधिकारी, (डी०पी०ओ०), उत्तरकाशी ।
2. श्री कन्हैया लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, भटवाड़ी उप वन प्रभाग को उपरोक्त के



[Handwritten Signature]

सचिव जिला गंगा समिति /
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।